उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

नियमावली– 1956

चिन्ह

(दिनांक 16 नवम्बर, 1991 तक संशोधित)

नियम 12,15,31, 34, 35, 38, 45 के अतिरिक्त शेष नियम 1 से 74 तक विज्ञप्ति संख्या 409/वि0प0–संसदीय/28(सं) 91, दिनांक 16 फरवरी, 1991 तक संशोधित हुए।

नियम 105 से 115 विज्ञप्ति संख्या 1961/वि0प0/संसदीय–28 (सं)/91, दिनांक 13 सितम्बर, 1991 द्वारा संशोधित हुए।

1—— प्रारम्भिक

1— संक्षिप्त शीर्ष नाम	1
2— परिभाषायें	1—4

2—— परिषद् की बैठक

3 सदस्यों का आहवान	4
4 परिषद् की बैठकें	4
5 सत्रावसान होने पर लंबित सूचनाओं का व्यपगत होना	4—5
6 परिषद् की बैठक कब विधिवत गठित होगी	5
7 सदस्यों की नामावली की पंजिका	5
8 परिषद् की साधारण बैठक	5

3 राज्यपाल का सम्बोधन तथा परिषद् को संदेश

9 अभिभाषण का प्रतिवेदन	5
10राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण	5
11चर्चा की परिधि	5
12संशोधन	6
13सरकार का उत्तर देने का अधिकार	6
14राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय औपचारिक कार्यवाही	6
14(क)धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही	6
15राज्यपाल द्वारा संदेश	6

4 राज्यपाल को सम्बोधन

16राज्यपाल को सम्बोधन	7

5 सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन तथा अधिष्ठाता मंडल का नाम निर्देशन

17सभापति का निर्वाचन	7—8
18उपसभापति का निर्वाचन	8.—9
19अधिष्ठाता मंडल	9
20उपसभापति या अधिष्ठाता की शक्तियां	9

6—कार्यक्रम

21असरकारी कार्य एवं उसकी प्राथमिकता	9
22कार्य का क्रम	9
23असरकारी संकल्पों व विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता	9
24असरकारी विधेयकों को प्राथमिकता	10
25कार्यसूची	10.—11
26दिन के अंत में बचा हुआ सरकारी कार्य	11
26(क) दिन के अंत में असरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य	11
27कार्यपरामर्शदात्री समिति को निर्देशन	11
28 समय निर्धारण	11
29समय निर्धारण के प्रस्ताव में संशोधन	11
30 निर्धारित समय में परिवर्तन	12

7 सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम

31 सदस्यों के स्थान	12
32 परिषद् में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम	12
33 प्रश्न सभापति के माध्यम से पूछे जायेंगे	13
34 व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	13

8 प्रक्रिया के सामान्य नियम

35 विषय जो परिषद् के सामने लाये जा सकते है	13
36 सदस्यों द्वारा सूचना का दिया जाना	13
37 सदस्यों को सूचना का भेजा जाना	13
38 परिषद् की भाषा	13
39 व्यवस्था प्रश्न पर विनिश्चिय	14
40 किसी सदस्य को अपना भाषण बंद करने के निर्देश देने की सभापति की शक्ति	15
41 सदन में शांति व्यवस्था	15
42 बैठकों का स्थगन	15
43 बिना सूचना के प्रस्ताव पर प्रतिबंध	15
44 किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता संबंधी उपबन्ध	16

45	सभापति द्वारा प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय	16
46	प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण व उसकी वापसी	17
47	चर्चा की परिधि	17
48	प्रस्ताव में संशोधन	17
49	वाद विवादों पर बन्धन	17—18
50	भाषणों की अवधि	18
51	भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार	18
52	प्रस्ताव पर मत प्राप्त करने से पहले सभापति का परिषद् को सम्बोधित करने का अधिकार	19
53	प्रश्न का उपस्थित किया जाना	19
54	कार्य—स्थगित करने का सभापति का अधिकार	19
55	अवशिष्ट शक्तियां	19
56	नियमों का निलम्बन	19
57	परिषद् का विनिश्चय	19—20
58	कार्य को स्थागित करने का प्रस्ताव	20—21
59	बिना सूचना के प्रस्ताव	21
60	प्रस्ताव की पुनरावृत्ति	21—22
61	संशोधनों के संबंध में उपबन्ध	22
62	संशोधनों की सूचना	22
63	संशोधनों का प्रस्ताव	22
64	संशोधनों का उपस्थित किया जाना	23
65	प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिबंध	23
66	प्रस्तावों की अस्वीकृत के आदेशों पर चर्चा का निषेध	23
67	प्रस्तावों की वापसी	23
68	विवादान्त	23
69	परिषद् की बैठक के समय बाहरी व्यक्तियों का परिषद् मंडप में प्रवेश	24
70	बाहरी व्यक्तियों को हटाये जाने का आदेश देने की शक्ति	24
71	परिषद् की कार्यवाहियों का संक्षिप्त अभिलेख	24

72 परिषद् की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन 24
73 परिषद् की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना 24
74 परिषद् की कार्यवाही में से निकाले गये अंशों का संकेत 24

9 परिषद् की समितियां

75 वार्षिक समितियां 24–25
76 अन्य समितियां नियुक्त करने का अधिकार 25
77 समितियां के लिये नियम 25
78 किसी समिति की नियुक्ति 25–26
79 समिति के सदस्यों का त्याग–पत्र 26
80 समिति का सभापति 26
81 गणपूर्ति 26
82 समिति की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों का समिति से हटाया जाना 26–27
83 समिति में मतदान 27
84 सभापति का निर्णयक मत 27
85 उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति 27
86 समिति की बैठकें 27
87 समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो 27
88 समिति की बैठक असार्वजनिक स्थान में होगी 27
89 बैठकों का स्थान 27
90 समिति द्वारा विचार विमर्श के समय सभी अपरिचित व्यक्ति वहां से हट जायेगें 27
91 साक्ष्य लेने या पत्र, अभिलेख तथा प्रपत्र मांगने की क्षमता 28
92 समिति को साक्षियों को बुलाने व पत्र और अभिलेखों को मांगने की क्षमता 28
93 विशेष प्रतिवेदन 28
94 साक्ष्य प्रतिवेदन और कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी 28
95 साक्ष्य लिये जाने की प्रक्रिया 29
96 समिति का प्रतिवेदन 29–30
97 प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना 30
98 प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने का अधिकार 30

99–प्रक्रिया या दूसरी बातों के संबंध में सभापति को निर्देश देने का अधिकार 30
100 समितियों के सदस्यों की संख्या 30
101 विधान सभा की समितियों के साथ बैठने की शक्ति 30
102 समिति का सचिव 30

10 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां

103 संयुक्त समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव 30–31
104 विधान सभा के सें देश प्राप्त होने की प्रक्रिया 31

10–क–वाद विवाद के लिये स्थगन प्रस्ताव

105 कार्य–स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभापति की सम्मति की आवश्यकता एवं प्रस्ताव की ग्राह्यता पर प्रतिबन्ध 31
106 कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना 31
107 सभापति द्वारा कार्य–स्थगन के प्रस्ताव की ग्राहयता पर विनिश्चय 32
108 कार्य–स्थगन प्रस्ताव की चर्चा अथवा वक्तव्य के लिये की गयी प्रार्थना क रूप में ग्राह्य करने का सभापति का अधिकार 32
109'–(1) कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की प्रक्रिया 32
(2) चर्चा की कालावधि 32

10–ख–अविनम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

110–(1) चर्चा उठाने की सूचना 33
(2) सभापति ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे 33
(3) औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा 33
(4) भाषणों के लिये समय सीमा 33

11–अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य

111 अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर वक्तव्य 33

112 वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारण 33
113 वक्तव्य के अवसर पर विवादास्पद विष्य उठाये जाने का निषेध 34
114 मंत्री द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य 34
115 ध्यानाकर्षण की सूचनायें 34

11—क—मंत्री द्वारा वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग दिया हो

116 मंत्री द्वारा पद—त्याग के स्पष्टीकरण संबंधी वक्तव्य 34

12— प्रश्न

117 प्रश्न का समय 35
118 प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं 35
119 मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्न 35
120 उच्च प्राधिकारियों से विवादानुसार विषयों के बारे में प्रश्न 35
121 प्रश्न का रूप और विषय 35—36
122 मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्नों की संख्या पर सीमा 37
123 प्रश्नों की सूचना 37
124 सभापति प्रश्नों की ग्राह्यता पर निर्णय देगें 37
125 प्रश्न को सभापति और सरकार के समक्ष उपस्थित किया जाना 37
126 प्रश्नों की सूची 37
127 पूरक प्रश्न 37
128 प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जायेगा 38
129 प्रश्न की वापसी या उनका स्थगन 38
130 प्रश्न किस प्रकार पूछे जायेंगे 38
131 लम्बे विवरण पढ़े गये समझे जायेंगें 38
132 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की रीति 38
133 परिषद् की कार्यवाहियों में प्रश्नों के उत्तर का समावेश किया जाना 38—39
134 सभापति के निर्णय पर चर्चा निषेध 39
135 प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा 39
136 प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन 39

13—संकल्प

137 सार्वजनिक हित के विष्य पर चर्चा करने पर प्रतिबंध 39
138 संकल्पों की सूचना 39—40
139 संकल्पों की प्रतिलिपियां सचिव द्वारा सभापति तथा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी 40

140 भाषणों की कालावधि 40

13–(क) अध्यादेश पर चर्चा

141 अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प 40

13–(ख) मंत्रियों के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

142 मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव 40–41

13–(ग) सभापति या उप–सभापति का हटाया जाना

143 सभापति तथा उप सभापति का हटाया जाना 41

13–(घ) संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन

144 सविधान में संशोधनों का अनुसमर्थन 41
145 पारित संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजी जायेगी। 41

14– विधान निर्माण

क– परिषद् के प्रारम्भ होने वाले विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया विधेयकों का पुरःस्थापन

146 विधेयकों को पुरःस्थापन के लिये पूर्व मंजूरी अथवा सिफाारिश की सूचना 41–42
146 (क) विधेयकों को वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड 42
146(ख) विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन 42
146 (ग) अध्यादेशों के संबंध में विवरण 42
147 वित्तीय विधेयकों से संबंधित उपबन्ध 43
148 धन विधेयक 43
149 विधेयकों की प्रतिलिपि का सरकार को भेजा जाना 43
150 विधेयकों के प्रकाशन का राज्यपाल को अधिकार 43
151 विधेयकों का प्रकाशन 43
152 पुरःस्थापन की अनुज्ञा का प्रस्ताव 43–44

पुरःस्थापना के उपरांत प्रस्ताव

153 पुरःस्थापन के उपरांत प्रस्ताव 44
154 सदस्य का विधेयक से संबंधित प्रपत्रों को मांगने का अधिकार 44

155 व्यक्ति जो विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेंगे 44
156 विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा 45

प्रवर समितियां

157 प्रवर समितियों के सदस्य 45
158 प्रवर समितियां की रचना 46
159 प्रवर समितियां के सदस्यों की नियुक्ति 46
160 अन्य सदस्यों की उपस्थिति 46
161 प्रवर समिति को संशोधनों की सूचना 46
162 अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना 46–47
163 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन 47
164 समितियां से संबंधित नियम प्रवर समितियां पर लागू होगें 47
165 प्रवर समिति द्वारा अन्य प्रतिवेदन 47
166 प्रतिवेदन का मुद्रण एवं प्रकाशन 47–48
167 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रक्रिया 47–48
168 पुनः प्रकाशन का प्रस्ताव 48

संयुक्त प्रवर समितियां

169 संयुक्त प्रवर समिति 48
170 परिषद् द्वारा सदस्यों का निर्वाचन 48
171 समितियां से संबंधित नियम संयुक्त प्रवर समिति पर लागू होगें 49
172 प्रतिवेदन प्रस्तुति किये जाने के पश्चात् 49
173 संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विवाद 49

विधेयकों पर विचार, उनमें संशोधन और उनका पारण

174 संशोधन के प्रस्ताव 49
175 किसी कर को समाप्त अथवा कम करने वाली सिफाारिश अथवा पूर्व मंजूरी अनावश्यक 49
176 संशोधन की ग्राह्यता की शर्ते 49–50
177 संशोधनों की सूचना 50
178 संशोधनों का क्रम 50
179 संशोधनों की सूची 50
180 विधेयक खण्ड प्रतिखण्ड उपस्थित किया जाना 50
181 खण्ड का स्थगन 51
182 अनुसूची 51
183 किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावना 51
184 विधेयक में संशोधन की सूचना प्राप्त होने पर उसके पारित किय जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया जाना 51
185 विधेयकों का पारित किया जाना 51
186 विधेयक के पारित किये जाने के प्रस्ताव पर की गयी चर्चा 51
187 पारित किये गये विधेयक सभापति को भेजा जाना 52
188 विधेयक का प्रमाणीकरण 52
189 संशोधित विधेयक की परिषद् में वापसी 52
190 संशोधन पर विचार किये जाने के लिये समय का का निर्धारण 52
191 संशोधनों पर विचार किये जाने की प्रक्रिया 52–53
192 विधेयकों पर अनुमति तथा विधेयक का अधिनियम के रूप में प्रकाशन 53
193 राज्यपाल द्वारा वापस किये गये विधेयकों पर पुनः विचार 53
194 विधेयकों को वापस किया जाना 53
195 समाप्त विधेयक 53
196 संयुक्त प्रवर समिति के निर्देशन के प्रस्ताव 53–54
197 सभा द्वारा पारित विधेयक 54
198 सूचना 54
199 चर्चा 54
200 प्रवर समिति को निर्देशन 54
201 विचार एवं पारण 54
202 बिना संशोधनों के पारित विधेयक 54
203 संशोधनों के साथ विधेयक 55
204 धन विधेयक 55

15 संयुक्त सम्मेलन

205 दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन 55
206 सभा को संदेश का पहुंचाया जाना 55
207 सदस्यों का नाम निर्देशन 55
208 सदस्यों की संख्या 55
209 प्रक्रिया 56

16 वित्तीय विवरणों पर चर्चा

210 आय–व्ययक 56
211 सामान्य चर्चा 56
212 किसी वित्तीय कार्य के लिये निर्धारित दिवसों पर लिये जाने वाले अन्य कार्य 56–57

17— परिषदों के लिये याचिकायें

213 याचिकाओं का रूप और विषय 57
214 याचिकाओं का सचिव को दिया जाना 57
215 याचिकाओं को प्रस्तुत किये जाने के लिये तिथि का नियत किया जाना 57
216 याचिकाओं पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी 58
217 किसी याचिका का याचिका समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति को अधिकार 58
218 प्रतिवेदन पर चर्चा

18 नियमों का संशोधन

219 सूचना 58
220 परिषद् की अनुमति 58
221 संशोधनों के आलेख्य का नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जाना 58
222 नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया 59

19 विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव

223 विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना 59
224 विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें 60
225 विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की रीति 60
226 परिषद् की अनुमति का प्रश्न किया जाना 60
227 विशेषाधिकार समिति को निर्देशन 60
228 किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति का अधिकार 60
229 प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा करने के लिये समय का निर्धारण 61

20 विविध

230 परिषद् द्वारा निर्वाचन 61

अनुपस्थिति की अनुमति और रिक्तता

231 अनुपस्थिति की अनुमति 61—62
232 परिषद स्थान से त्याग पत्र 62
233 गजट में रिक्त स्थानों का अधिसूचित किया जाना 62
234 गणपूर्ति 62

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम

यह नियम विधान परिषद् द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 (1) के अर्न्तगत बनाए गए है तथा 1 जुलाई, 1956 से लागू है।

1– प्रारम्भिक

+नियम 12, 15, 31, 34, 35, 38, तथा 45 के अतिरिक्त शेष नियम 1 से संक्षिप्त शीर्षनाम 74 तक विज्ञप्ति सं0409/वि0प0–संसदीय/28 (सं)/91 दिनांक 16 फरवरी, 1991 द्वारा संशोधित हुए। — संक्षिप्त शीर्षनाम

+ 1– यह नियमावली "उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1956" कहलाएगी। — परिभाषायें

2–(1)जब तक कि विषय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में:–

(क) "अनुच्छेद"	का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है।
(ख) "असरकारी सदस्य"	का तात्पर्य उस सदस्य से है जो मंत्री न हो
(ग) "उपसभापति"	का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है।
(घ) "गजट"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी गजट से है।
(ड0) "नियमावली"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1956 से है।
(च) "नेता सदन"	का तात्पर्य मुख्यमंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है।
(छ) "पत्री वर्ष"	का तात्पर्य बारह महीने की उस कालावधि से है जो पहली जनवरी से आरम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त हो।
(ज) "परिषद्"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है।
(झ) "परिषद्–कक्ष" (लाबी)	का तात्पर्य उस कक्ष से है जो परिषद् –मंडप से संलग्न है और जो परिषद्–मंडप के साथ ही समाप्त होता है।
(ञ) "पूरे दिन"	का तात्पर्य प्रथम तथा अंतिम दिन को छोड़कर शेष दिनों से है।
(ट) "प्रवर समिति"	का तात्पर्य सदस्यों की ऐसी समिति से है जिसे कोई विधेयक पुरःस्थापित किए

	जाने के पश्चात परिषद् द्वारा विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाये।
(ट) "प्रस्ताव"	का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा की गयी ऐसी प्रस्थापना से है जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की जाय और उसमें संकल्प तथा प्रस्ताव के संशोधन भी सम्मिलित है।
(ड) "बैठक"	का तात्पर्य किसी भी दिन कार्य के आरम्भ होने से लेकर उस दिन के लिए सदन के उठने तक सदन के कार्य सम्पादनार्थ सदस्यों के समवेत होने से है।
(ढ) "भार–साधक सदस्य"	का तात्पर्य, जहां तक उसका संबंध किसी संकल्प अथवा प्रस्ताव से है, उस सदस्य से है जिसने ऐसा प्रस्ताव अथवा संकल्प सदन में वस्तुतः प्रस्तुत किया हो।
(ण) "मंत्री"	का तात्पर्य संविधान के अर्न्तगत मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य से है जिसमें राज्यमंत्री उपमंत्री तथा ऐसा कोई अन्य सदस्य भी सम्मिलित है, जिसको ऐसे मंत्री द्वारा परिषद् में अपने ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया हो।
(त) "मेज"	का तात्पर्य सदन की मेज से है।
(थ) "राज्यपाल"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से से है।
(द) "वित्त मंत्री"	वित्त मंत्री के अर्न्तगत कोई भी ऐसा मंत्री है, जो सदन में तत्समय वित्त मंत्री के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करें।
(ध) "वित्तीय वर्ष"	का तात्पर्य बारह महीने की उस कालावधि से है जो पहली अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होती है।
(न) "विधान मंडल"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान मंडल से है।
(प) "विधेयक भारसाधक सदस्य "	का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संदर्भ में किसी मंत्री से है और असरकारी विधेयक के संदर्भ में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या, ऐसे सदस्य से है जो पुरःस्थापनकर्ता द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो या यदि विधेयक सभा द्वारा भेजा गया हो, तो किसी मंत्री से है या उस सदस्य से है जिसने यह प्रस्ताव करने के मन्तव्य की सूचना दी हो कि विधेयक पर विचार किया जाये।

(फ) "विभाजन"	का तात्पर्य सदस्यों को परिषद् कक्षों में भेजकर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है।
(ब) "शासन"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।
(भ) "संकल्प"	का तात्पर्य ऐसी प्रस्थापना से है जो सार्वजनिक हित के विषय पर परिषद् का विनिश्चिय प्राप्त करने के लिए की जाये।
(म) "संयुक्त प्रवर समिति"	का तात्पर्य परिषद् तथा सभा के सदस्यों की ऐसी सहै जिसे किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया गया कोई विधेयक विचारार्थ निर्दिष्ट किया जाये।
(य) "संविधान"	का तात्पर्य है "भारत का संविधान"।
(र) "सचिव"	का तात्पर्य है परिषद् के सचिव से है और इसके अर्न्तगत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो तत्समय सचिव का कार्य करने हेतु अधिकृत हो।
(ल) "सदन"	सदन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है।
(व) "सदन के परिसर"	का तात्पर्य मुख्य विधान भवन स्थित परिषद्–मंडप, परिषद–कक्ष दीर्घाएं, सभापति–कक्ष, उपसभापति–कक्ष, नेता विरोधी'–दल कक्ष, समिति–कक्ष, विधान परिषद् सचिवालय के अध्यासन में कमरे, पार्टियों के कमरे, समितियों के सभापतियों के कमरे, परिषद् सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ विधान भवन के सभी स्थानों तथा उनकी ओर जाने वाले मार्गो से है एवं उन स्थानों और मार्गो से भी है जिन्हें सभापति समय–समय पर निर्दिष्ट करें।
(श) "सदनों"	का तात्पर्य विधान मंडल के सदनों से है।
(ष) "सदस्य"	का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और अनुच्छेद 177 के प्रयोजनों के लिये इसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) भी सम्मिलित है।
(स) "सभा"	का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है।
(ह) "सभापति"	का तात्पर्य उस सदस्य से है जो परिषद् के सभापति पद पर नियुक्त हो और उसके अर्न्तगत ऐसा कोई सदस्य भी आता है जो तत्समय सभापति का कार्य कर रहा हो।
(क्ष) "समिति"	का तात्पर्य किसी विशिष्ट अथवा सामान्य प्रयोजन के लिये परिषद् द्वारा निर्वाचित

या निर्मित अथवा सभापति द्वारा नाम निर्देशित किसी भी समिति से है।

(त्र) "सत्र" का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के अर्न्तगत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर परिषद् की प्रथम बैठक से उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) के अर्न्तगत उसके सत्रावसान तक हो।

(ज्ञ) "सत्रावसान" का तात्पर्य अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अर्न्तगत राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्र के समापन से है।

(2) जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, संविधान में प्रयुक्त ऐसे शब्दों व पदों का जिनकी परिभाषा इन नियमों में नहीं दी गयी है वही अर्थ होगा जो संविधान में है।

2 परिषद् की बैठक

सदस्यों का आहवान

3 (1) राज्यपाल द्वारा परिषद् के तिथि समय व स्थान नियत किए जाने के पश्चात् सचिव उक्त तिथि समय व स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को आहवान पत्र द्वारा भेजेंगे।

(2) उपनियम (1) के अर्न्तगत आह्वान–पत्र सचिव द्वारा साधारणतया नियत तिथि से चौदह दिन पूर्व भेजे जायेगें।

किन्तु सत्र यदि अल्प सूचना पर या आपातिक रूप में बुलाया जाये तो प्रत्येक सदस्य को आहवान–पत्र निर्गत करना आवश्यक न होगा और सत्रारम्भ की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण गजट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा और सदस्यों को तार या टेलेक्स या रेडियोग्राम या किसी अन्य त्वरित संचार माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(3) अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष में विधान परिषद् के साधारणतया तीन अधिवेशन, अर्थात आय–व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और किन्हीं असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम 90 दिन की बैठके अवश्य होंगी।

परिषद् की बैठकें

4– सत्रारम्भ के पश्चात् की बैठकें उन तिथियों में होंगी जिनके लिए काम की स्थिति को ध्यान में रखकर सभापति आदेश दें।

सत्रावसान होने पर लंबित सूचनाओं का

5– परिषद् के सत्रावसान पर–

(क) सभी लंबित सूचनाएं, वक्तव्य और चर्चाएं

व्यवपगत होना	व्यवपगत हो जायंगी और आगामी सत्र के लिए फिर से सूचनाएं दी जायें: परन्तु जो प्रश्न कार्य–सूची में प्रविष्ट हो चुके हों, किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किए गए हों और उत्तर के लिए लंबित हों, वे व्यपगत नहीं होगें: (ख) जो विधेयक सदन में लंबित हों वह सदन के सत्रावसान के कारण व्यपगत नही होगाः (ग) किसी समिति के समक्ष लंबित कोई कार्य व्यपगत नहीं होगाः (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो उपस्थित किया जा चुका हो और सदन में लंबित हो, व्यपगत नही होगा।
परिषद् की बैठक कब विधिवत् गठित होगी	6–परिषद्की बैठक तभी विधिवत गठितहोती है जबकि उसमें सभापति या ऐसा कोई सदस्य जो संविधान या इन नियमों के अन्तर्गत पीठासीन ग्रहण करने के लिए सक्षम है पीठासीन हो।
सदस्यों की नामावली की की पंजिका	7– परिषद् के सदस्यों की नामावली की एक पंजिका होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के उपरांत और परिषद् में सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करने से पूर्व सचिव की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करेगा।
परिषद् की साधारण बैठक	8–जब तक कि सभापति अन्यथा आदेश न दें, परिषद् की बैठक साधरणतया– (1) पूर्वाह्न 11. 00 बजे आरम्भ होकर अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी और बैठक के मध्य भोजनावकाश होगा। (2) शनिवार, रविवार तथ अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन नहीं होगी।

3–राज्यपाल का सम्बोधन तथा परिषद् को संदेश

अभिभाषण का प्रतिवेदन	9–संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के, अर्न्तगत राज्यपाल द्वारा किया गया अभिभाषण, सभापति द्वारा परिषद् को यथासंभव शीघ्र प्रतिवेदित किया जायेगा।
राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिये समय का निर्धारण	10 सभापति, सदन के नेता के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करेंगे।
चर्चा की परिधि	11– (1) इस प्रकार नियम दिन या दिनों, या दिन के किसी भाग में परिषद धन्यवाद प्रस्ताव पर जो एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और जिसका एक दूसरे सदस्य द्वारा समर्थन

किया जायेगा, ऐसे अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(2) ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों के विषय से सम्बद्ध नियम यथोचित परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होगें:

परन्तु ऐसे प्रस्ताव या उस पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

संशोधन

12+ऐसे धन्यवाद के प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेगें जिसे सभापति उचित समझेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे संशोधन मूल प्रस्ताव के अंत में शब्द जोड़े जाने के रूप में होगें।

सरकार का उत्तर देने अधिकार

13 मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उन्होंने पहले चर्चा में भाग लिया हो या न लिया हो, चर्चा के अंत में सरकार की ओर से सरकार कीस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सामान्य अधिकार होगा। सभापति यह पूछ सकते है कि ऐसे भाषण में कितना समय लगेगा जिससे कि वह चर्चा के समाप्त होने का समय निर्धारित कर सके।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय अन्य औपचारिक कार्यवाही

14–(1) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कोई दिन नियम किया जाने पर भी–

(क)विधेयक या विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए परिषद् की अनुमति से एक प्रस्ताव या कई प्रस्ताव किए जा सकेंगे और ऐसे दिन विधेयक पुरःस्थापित किए जा सकेंगे।

(ख) ऐसे दिनांक को अभिभाषण की चर्चा आरम्भ होने या जारी रखने से पहले परिषद् में अन्य औपचारिक कार्य भी किया जा सकेगा।

(2) इस प्रकार का प्रस्ताव किए जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा किसी दूसरे दिन, जिसे सभापति नियत करेंगे के लिए स्थगित कर दी जाय, अभिभाषण पर चर्चा सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में स्थगित कर दी जायेगीं। सभापति तुरंत प्रश्न उपस्थित करेगे और उस पर किसी संशोधन या चर्चा की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही

14(क)–(1) अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर सभापति द्वारा राज्यपाल को अर्पित किया जायेगा।

(2) सभापति प्रस्ताव पर राज्यपाल के उत्तर को परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे।

राज्यपाल द्वारा संदेश

15– जब संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) के अर्न्तगत सभापति को परिषद् के लिए राज्यपाल का संदेश प्राप्त हो तो वह उस संदेश को परिषद् को पढकर सुनायेगें और उस प्रकिया के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे जिसका संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचारार्थ अनुसरण किया जायेगा। ऐसे निर्देश देने में सभापति को उस सीमा तक नियमों को निलम्बित या परिवर्तित करने का अधिकार होगा, जिस सीमा तक कि आवश्यक हो।

4– राज्यपाल को सम्बोधन

राज्यपाल को सम्बोधन

16 (1) परिषद् की ओर से राज्यपाल को सभापति के माध्यम से संबोधित किया जायेगा।
(2) ऐसा सम्बोधन केवल किसी ऐसे प्रस्ताव के फलस्वरूप किया जायेगा जिसे संकल्पों से संबंधित नियमों के अनुसार प्रस्तुत एवं स्वीकृत किया गया हो।

5–सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन तथा अधिष्ठाता मंडल का नाम निर्देशन

सभापति का निर्वाचन

17 (1) सभापति का निर्वाचन उस तिथि को किया जायेगा जो कि राज्यपाल नियत करें और सचिव उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेगें।
(2) इस प्रकार उपनियम (1) के अधीन नियत की गयी तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिए किसी दूसरे सदस्य का नाम–निर्देशन सचिव को एक नाम–निर्देशन–पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्तावक के रूप में उस सदस्य के हस्ताक्षर तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम–निर्देशित सदस्य के नाम का उल्लेख हो और उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम प्रस्तावित किया गया हो, कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य सभापति के पद पर कार्य करने के लिए तैयार है।
(3) (क) निर्वाचन की तिथि नियत होने पर पीठासीन व्यक्ति उन सदस्यों के नाम जिनका विविवत–नाम निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्तावकों और समर्थकों के नाम के साथ परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम–निर्देशित हुए

हों, पीठासीन व्यक्ति को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेंगें। यदि वापसी के उपरांत, अगर कोई हो एक ही सदस्य का नाम निर्देशन शेष रहता है तो वह निर्वाचित घोषित किए जायेंगे और इसके लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा।

(ख) यदि एकाधिक सदस्यों का नाम निर्देशन शेष रहता है तो पीठासीन व्यक्ति उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हो, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक–एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेगें।

4–उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए किसी सदस्य को विधिवत नाम–निर्देशित नहीं समझा जायेगा यदि उक्त उपनियम के अर्न्तगत नामों के पढ़ जाने के पूर्व उन्होनें अथवा उनके प्रस्तावक या समर्थकों ने परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ली हो या प्रतिज्ञान नहीं किया हो।

5– प्रत्येक प्रस्ताव पर मतदान शलाका द्वारा किया जायेगा। जब दो से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशन हुआ हो और प्रथम शलाका में कोई अभ्यर्थी अन्य अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मतों के योग से अधिकतम प्राप्त न कर पाये तब उस अभ्यर्थी को जिसने न्यूनतम प्राप्त किये हों, निर्वाचन, से अपवर्जित कर दिया जायेगा और पुनः शलाका की जायेगी।प्रत्येक शलाका के अंत में न्यूनतम मत पाने वाले अभ्यर्थी का नाम अपवर्जित कर दियाजायेगा और ऐसा उस समय तक होता रहेगा जब तक कोई अभ्यर्थी शेष अभ्यर्थी के मतों की या यथास्थिति शेष अभ्यर्थियों के मतों के योग की अपेक्षा अधिक मत प्राप्त न कर ले।

6– जब किसी शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करें तब पर्ची डालकर यह निश्चित किया जायेगा कि उपनियम (5) के अर्न्तगत किस अभ्यर्थी को अपवर्जित किया जाय।

उप सभापति का निर्वाचन

18–(1) उपसभापति का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो सभापति नियत करें और सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भेजेंगे।

(2) इस प्रकार उप नियम (1) के अधीन नियत की हुयी तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य निर्वाचन के लिए किसी दूसरे सदस्य का नाम निर्देशन सचिव को एक ऐसा नाम निर्देशन–पत्र देकर कर सकेंगे जिस पर प्रस्ताव के रूप में उस समय के हस्ताक्षर

तथा समर्थक के रूप में किसी तीसरे सदस्य के हस्ताक्षर हों और जिसमें नाम निर्देशन सदस्य के नाम का उल्लेख हो ओर उसके साथ उस सदस्य का कथन, जिसके नाम को प्रस्थापित किया है, संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह सदस्य उपसभापति के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए किसी सदस्य को विधिवत् नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा यदि उस उपनियम के अर्न्तगत नामों के पढ़े जाने के पूर्व उन्होनें अथवा उनके प्रस्तावक या समर्थक ने परिषद् सदस्य के रूप में शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो।

(4) निर्वाचन के लिए इस प्रकार नियत तिथि को सभापति उन सदस्यों के नाम जिनका विधिवत् नाम निर्देशन हुआ है, उनके प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नाम के साथ परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे। निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो इस प्रकार नाम निर्देशित हुआ है, पीठासीन व्यक्ति को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकेगा, यदि वापसी के उपरांत अगर कोई हो, एक ही सदस्य का नाम निर्देशन शेष रहता है तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा और इस विषय पर औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक न होगा। यदि एकाधिक सदस्यों के नाम निर्देशन शेष रहता है तो सभापति उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए एक एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे।

(5) निर्वाचन की दशा में, नियम 17 (5) और (6) में सभापति के निर्वाचन के लिए विहित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा।

अधिष्ठाता मंडल

19–(1) प्रत्येक पत्री वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ होने पर, जब आवश्यक हो, सभापति परिषद् के सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सदस्यों का एक अधिष्ठाता मंडल नाम–निर्देशित करेंगे जिसमें से कोई भी सदस्य सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, सभापति या उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति या उपसभापति के भी अनुपस्थिति होने पर पीठासीन सदस्य के कहने पर परिषद् में पीठासीन हो सकेगें।

(2) उपनियम (1) के अर्न्तगत नाम–निर्देशित अधिष्ठाता मंडल तब तक कार्यरत रहेगा जब तक

नया अधिष्ठाता मंडल नाम–निर्देशित न हो जाय।

उपसभापति या अधिष्ठाता की शक्तियां

20– संविधान या इन नियमों के अर्न्तगत उप सभापति या किसी अन्य सदस्य की, जो कि परिषद् की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम हो परिषद् की बैठक में पीठासीन होने पर वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर सभापति की होती है और ऐसी अवस्था में इस नियमावली में सभापति से संबद्ध सब निर्देश उस पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

6– कार्यक्रम

असरकारी कार्य उसकी प्राथमिकता

21– जब तक सभापति अन्यथा निर्देश न दे और सप्ताह में प्रत्येक गुरूवार असरकारी कार्य को जिसकी आवश्यक पूर्व सूचना दी जा चुकी हो, प्राथमिकता दी जायेगी। अन्य दिनों में सरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जायेगीः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति नेता सदन के परामर्श से असरकारी कार्य के लिए सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकते है।

कार्य का क्रम

22– असरकारी कार्य के लिए नियत दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में सभापति की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं लिया जायेगा। सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेंगे जैसा कि सभापति नेता सदन के परामर्श से विनिश्चित करेंः

परन्तु सभापति नेता सदन के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकते है।

असरकारी संकल्पों व विधेयकों को सापेक्ष प्राथमिकता

23 असरकारी सदस्यों द्वारा जिन विधेयकों और संकल्पों की सूचना दी गयी हो उनकी सापेक्ष प्राथमिकता शलाका द्वारा उस प्रकार निश्चित की जायेगी जिस प्रकार कि सभापति निदेश दें।

असरकारी विधेयकों को प्राथमिकता कार्य सूची

24–(1) असरकारी विधेयक निम्न प्रकार ऐसे क्रम में रखे जायेंगे जिससे कि उन विधेयकों को प्राथमिकता मिल सके जो अग्रिमतम अवस्था प्राप्त कर चुके होः–

(क) जो विधेयक पुरःस्थापित किये जाने वाले हों,

(ख) जो विधेयक राज्यपाल द्वारा संदेश के साथ वापस किये गये हों

(ग) जो विधेयक विधान सभा द्वारा संशोधनों के साथ वापस किए गए हो,

(घ) जो विधेयक विधान सभा द्वारा पारित करके भेजे गये हों,

(ड0) जो विधेयक उस अवस्था में पहुंच चुके हों, जिसके संबंध में अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक को पारित किया जाय,

(च) जो विधेयक उस अवस्था में पहुंच चुके हों जिनके संबधं में अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक पर विचार किया जाय,

(छ) जो विधेयक उस अवस्था पर पहुंच चुके हों जिन पर प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किया जाने वाला हो,

(ज) जो विधेयक उस अवस्था पर पहुंच चुके हों जिन पर अगला प्रस्ताव यह हो कि विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय,

(झ) ऐसे विधेयक जिसके विषय में पुरःस्थापित करने के उपरांत कोई प्रस्ताव उपस्थित या स्वीकृत न किया गया हो,

(2) विभिन्न स्तरों पर असरकारी विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता का निर्णय उपनियम (1) के अर्न्तगत उनके पुरःस्थापित करने के दिनांक से होगा और जो विधेयक एक ही दिन पुरःस्थापित किये गये हों, उनका पुरःस्थापित किये जाने के क्रम के अनुसार होगा, जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दें:–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति परिषद् की अनुमति से उपनियम (1) के अधीन नियत की गयी विधेयकों की सापेक्ष प्राथमिकता को परिवर्तित कर सकते है।

कार्य–सूची

25–(1) प्रत्येक दिन कार्यक्रम की सूची सचिव द्वारा तैयार की जायेगी और सभी उपस्थित सदस्यों में परिचालित की जायेगी।

(2) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो सभापति की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य न लिया जायेगा जो उस दिन की कार्य सूची में सम्मिलित न हो।

(3) जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें कोई ऐसा कार्य जिसके लिए सूचना की आवश्यकता हो, आवश्यक सूचना की अवधि पूरी होने से पहले किसी दिन की कार्य सूची में नहीं रखा जायेगा।

(4) यदि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, असरकारी कार्य के लिए नियत दिन की कार्यसूची में चार से अधिक संकल्प नहीं रखे जायेंगे।

दिन के अन्त में बचा हुआ सरकारी कार्य

26– किसी दिन के लिए नियत कार्य, जो उस दिन समाप्त न हो सके, सत्र के किसी ऐसे आगामी दिन के लिए रखा जायेगा जो उस प्रकार के कार्य के लिए उपलब्ध हो और जो

सभापति नेता सदन के परामर्श से विनिश्चय करें।

दिन के अंत में असरकारी सदस्यों का अवशिष्ट कार्य

26–(क) असरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उसके लिए नियत किए गए दिन के लिए रखा गया हो और उस दिन न लिया गया हो, किसी आगामी दिन के लिए तब तक नहीं रखा जायेगा जबतक कि दूसरी तत्संबंधी सूचना पर उसे उस दिन के संबंध में की गयी शलाका में प्राथमिकता प्राप्त न हो गयी हो:

परन्तु जो कार्य उस दिवस के अन्त में चर्चाधीन हो, वह असरकारी कार्य के लिए नियत आगामी दिन के लिए रखा जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य समस्त कार्यो पर अग्रेता मिलेगी।

कार्य परामर्शदात्री समिति को निर्देशन

27– सभापति सदन के नेता के परामर्श से कार्य की किसी मद को किसी स्तर पर कार्य परामर्शदात्री समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर सकते हैं और यह भी निर्देश दे सकते है कि समिति उस पर अपना प्रतिवेदन निश्चित दिनांक के पूर्व दे दें।

समय निर्धारण

28– कार्य परामर्शदात्री समिति का प्रतिवेदन उपस्थित किए जाने के पश्चात् किसी प्रस्ताव की सूचना तत्काल नहीं दी जाती है तो प्रतिवेदन सदन द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे वह सदन का आदेश हो।

समय निर्धारण के प्रस्ताव में संशोधन

29– (1) उक्त प्रतिवेदन उपस्थित किए जाने के पश्चात कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकते है कि समिति द्वारा प्रतिवेदित कार्य की किसी मद के लिए आवंटित समय में परिवर्तन कर दिया जाये या समिति के पूर्ण या आंशिक प्रतिवेदन को समिति द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(2) किसी प्रतिवेदन पर ऐसे प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा केवल आधा घंटे तक की जा सकेगी और कोई भी भाषण पांच मिनट से अधिक न होगा। चर्चा के लिये नियत समय के पश्चात् सभापति प्रस्तावों व उन प्रस्तावित संशोधन को परिषद् के मतदान के लिए रखेंगे।

निर्धारित समय में परिवर्तन

30– समिति द्वारा प्रतिवेदित समय विभाजन में परिषद् की अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और किसी मद के संबंध में निर्धारित समय की पूर्ति कर सभापति उस मद के निस्तारण के लिए आवश्यक प्रश्न उपस्थित करेंगे:

किन्तु नेता सदन की ओर से सदन से मौखिक रूप से प्रार्थना किए जाने पर और उनके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के संदर्भ में यह अभिसूचित किए जाने पर कि ऐसे परिवर्तन पर सामान्य सहमति है, सभापति सदन की सहमति से उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे।

7– सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम

सदस्यों के स्थान

31– सदस्य उस क्रम में अपना स्थान ग्रहण करेंगे जैसा कि सभापति निश्चित करें।

परिषद् में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा अनुपालनीय नियम

32– (1) प्रत्येक सदस्य–

(क) अपने स्थान पर बैठने तथा वहां से उठने के समय सभापति के आसन के प्रति नमन करेगा

(ख) यदि वह कुछ कहना चाहे तो सभापति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा होगा और वह तभी बोलेगा जबकि सभापति उसे ऐसा करने के लिये कहें,

(ग) खड़े होकर बोलेगा जब तक सभापति द्वारा उसे रोग या दुर्बलता के कारण बैठकर बोलने की अनुमति न दे दी गयी है,

(घ) सामान्यतया अपने स्थान से या माइक्रोफोन के सामने से बोलेगा,

(ड0) सदा सभापति को सम्बोधित करेगा,

(च) भाषण देने वाले सदस्य के भाषण में उच्छृखंल बात या कोलाहल द्वारा बाधा न डालेगा,

(छ) कोई ऐसी पुस्तक या समाचार–पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका परिषद् की कार्यवाही से संबंध न हो,

(ज) भाषण देने वाले सदस्य तथा सभापति के बीच से होकर नहीं जायेगा।

(झ) किसी दूसरे सदस्य से इस प्रकार से बातचीत नहीं करेगा जिससे कि परिषद् की कार्यवाही में बाधा पड़े,

(ञ) इन नियमों के अधीन प्रतिबन्धों के अतिरिक्त किसी और प्रकार से परिषद् की कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा,

(ट) जिस समय सभापति परिषद् को सम्बोधित कर रहे हों, उस समय सदन के बाहर नहीं जायेगा।

(2) यदि सभापति किसी समय खड़े हों, तो वह सदस्य जो उस समय भाषण दे रहा हो, अपने स्थान पर बैठ जायेगा।

प्रश्न सभापति के माध्यम से पूछें जायेगें

33– जब चर्चा के समय जानकारी के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी सदस्य को परिषद् के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह उसे सभापति के माध्यम से पूछेगा।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

34 परिषद् के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव न होने पर भी कोई सदस्य, सभापति के अनुज्ञा से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकता है किन्तु इस दिशा में कोई विवादास्पद विषय नहीं लाया जायेगा और उस पर वाद–विवाद नहीं होगा।

8–प्रक्रिया के सामन्य नियम

विषय जो परिषद के सामने लाये जा सकते हैं,

35 कोई विषय जिसके लिए प्रदेश की सरकार मुख्यतः उत्तरदायी नहीं है, बिना परिषद् की अनुज्ञा के, किसी भी रूप में परिषद् के सामने नहीं लाया जायेगा।

सदस्यों द्वारा सूचना का दिया जाना

36–(1) प्रत्येक सूचना जिसका इन नियमों के अर्न्तगत दिया जाना आवश्यक हो, सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप से दी जायेगी और सचिव– कार्यालय में कार्याकाल के भीतर छोड़ दी जायेगीं।

(2) कार्यालय के बंद हो जाने के पश्चात् छोड़ी गयी सूचनायें उस दिन प्राप्त हुयी समझी जायेगी जिस अगले दिन कार्यालय खुलेगा,

किन्तु प्रतिबंध यह है कि कोई सदस्य सभापति की अनुज्ञा से परिषद् में प्रश्नों के उपरांत या परिषद् के स्थगन से पहले किसी प्रस्ताव की सूचना दे सकता है और ऐसी दशाओं में उप नियम (1) के अधीन सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

सदस्यों को सूचना का भेजा जाना

"37 प्रत्येक सूचना या अन्य कोई प्रपत्र जिसकों कि नियमों के अर्न्तगत सदस्यों को दिया जाना या भेजा जाना आवश्यक हो, विधिपूर्वक दिया गया या भेजा गया समझा जायेगा यदि उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को परिषद् के कार्यालय में दर्ज उसके पते पर भेज दी गयी हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब परिषद् की बैठकें हो रही हों तब किसी बैठक के आरम्भ होने से तीन दिन पहले ऐसी सूचना या प्रपत्र प्रत्येक सदस्य को भेजा हुआ समझा जायेगा, यदि वह परिषद भवन के अंदर ऐसे स्थान पर रख दिया जाय जिसको सभापति ने इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया हो और सदस्यों को भी उसकी सूचना भेज दी गयी हो।"

परिषद की भाषा

॰+38—संविधान के अनुच्छेद 210 के उपबन्ध के अधीन परिषद का कार्य हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में होगा।

(॰+जैसा विज्ञप्ति संख्या 3684—ए/वि0प0—240—1959 दिनांक 17मई,1961 द्वारा संशोधित हुआ।)

व्यवस्था प्रश्न पर विनिश्चय

"39—(1) सभापति के निर्णय के लिए व्यवस्था किसी समय उठाया जा सकता है, किन्तु ऐसा करते समय वह केवल प्रश्न तक ही अपने कथन को सीमित रखेगा।

(2) जब कि सभापति के सामने कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो वह सदस्य जो उस समय भाषण दे रहे हैं तुरंत अपने स्थान पर बैठ जायेंगे।

(3)उठाये गये सभी व्यवस्था के प्रश्नों का निर्णय सभापति करेंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(4)किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा करने की आज्ञा नहीं होगी, किन्तु सभापति उस पर सदस्यों की राय ले सकते हैं।

39—क—(1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो सभापति के संज्ञान में हो।"

(2)औचित्य तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में जठाया जा सकेगाः—

परन्तु सभापति किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति न दे सकेगें, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के संबंध में हो।

(3) उप नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और सभापति यह विनिश्चय करंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देगें जो अंतिम होगा।

(4) औचित्य प्रश्न पर वाद—विवादकी अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु सभापति यदि ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे।

(5) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) कोई सदस्य—

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या
(ग) जब प्रस्ताव पर काई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या
(घ) काल्पनिक, या
(ड0) विभाजन की घंटिया नहीं बजी या सुनाई नही पड़ी, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेंगे।

किसी सदस्य को अपना भाषण बंद करने के निर्देश देने की सभापति की शक्ति

40– सभापति परिषद् में वाद–विवाद के दौरान किसी सदस्य को बार–बार असंगत बात करने या स्वयं अपने अथवा अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त तर्को की व्यर्थ पुनरावृत्ति करने पर परिषद् का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के उपरांत भाषण बंद कर देने का निदेश दे सकते है।

सदन में शांति व्यवस्था

41–(1) सभापति को परिषद् की बैठक के दौरान सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित कराने का पूरा अधिकार होगा।

(2) सभापति किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो परिषद्–मंडप से तुरंत बाहर चले जाने का आदेश दे सकते हैं और जिस सदस्य को इस प्रकार का आदेश दिया जाये वह तत्काल परिषद् मंडप से बाहर चला जायेगा और उस दिन की बैठक के बाकी समय में अनुपस्थिति रहेगा। यदि किसी सदस्य को एक ही सत्र में दूसरे बार इस प्रकार का आदेश दिया जाये तो सभापति अनुपस्थिति की अवधि दो दिन तक आदेशित कर सकते हैं और जिस सदस्य को ऐसा आदेश दूसरी बात दिया जाये वह अपने को तद्नुसार अनुपस्थित रखेगा। जिस सदस्य को इस प्रकार अनुपस्थिति रहने का आदेश दिया गया हो उसे संविधान के अनुच्छेद 190 के खण्ड (4) के उपबन्धों के अधीन अनुपस्थिति नहीं समझा जायेगा।

(3) परिषद् में घोर अव्यवस्था होने पर सभापति बैठक को किसी निश्चित समय तक के लिये स्थगित कर सकेंगे।

बैठको का स्थगन

42– सभापति अपने विवेक से या इस संबंध में परिषद का मत लेकर परिषद् की बैठक स्थगित कर सकते हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की बैठक को स्थगित करने का प्रस्ताव बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है परन्तु कोई सदस्य ऐसा प्रसताव उस समय प्रस्तुत नहीं कर

सकेंगे जबकि कोई दूसरा सदस्य भाषण दे रहा हो।

बिना सूचना के प्रस्ताव

43– जब तक कि इन नियमों में इसके विपरीत उपबन्ध न हो कोई प्रस्ताव बिना सूचना के प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव की ग्राह्यता संबंधी उपबन्ध

44–किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिये निम्नलिखित प्रतिबन्ध लागू होगें, अर्थात–

(1) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध होगा जो संविधान के अधीन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हो,

(2) उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,

(3) उनमें तर्क, निष्कर्ष अनुमान व्यंग्यात्मक विवरण, दोषारोपण तथा अपमानजनक कथन नहीं होंगे,

(4) उसमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्य से सम्बद्ध कृत्यों के अतिरिक्त उसके आचरण या चरित्र की ओर संकेत नहीं होगा,

(5) उसका विषय किसी हाल ही की घटना तक सीमित होगा,

(6) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

(7) उसमें मूल रूप से किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं की जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,

(8) उसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा की प्रत्याशा नहीं की जायेगी जो पहले से ही परिषद् की कार्य सूची में सम्मिलित हो,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रस्ताव में बहस की प्रत्याशा नहीं मानी जायेगी यदि उसमें उसी विषय पर अधिक मौलिक रूप से चर्चा की जानी हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रत्याशा के आधार पर किसी चर्चा को अवैध घोषित करने से पहले सभापति इस बात पर भी विचार करेंगे कि प्रत्याशित विषय परिषद् के सामने समुचित समय के अंदर आने वाला है।

(9) उसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो।

सभापति द्वारा प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय

45–(1) सभापति प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय देगें और वे किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग को आग्रहय कर सकते है।

(2) सभापति किसी प्रस्ताव को नियमानुकूल बनाने के लिए उसमें संशोधन कर सकते है।

प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण व उसकी वापसी

46–(1) कोई सदस्य, जिसके नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव अंकित हो अथवा कोई दूसरा सदस्य जिसकी उसने अपनी ओर से कार्य करने के लिये सभापति की संस्तुष्टि के अनुसार प्राधिकृत किया हो, नाम पुकारे जाने पर या तो–

(क) कार्यसूची में दिये हुये शब्दों में औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये अपना भाषण आरम्भ करेगा, या

(ख) प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेगा और उस दशा में उसका वक्तव्य केवल इतना कहने तक सीमित रहेगा–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में ऐसा वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकते है कि वह प्रस्ताव को क्यों प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

(2) ऐसी दशा में जब कोई सदस्य, जिसके नाम पर वह प्रस्ताव है, किसी कारणवश उसे स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता है, तो उसके अनुरोध पर सभापति की अनुज्ञा से कोई दूसरा सदस्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है।

(3)यदि प्रस्ताव उपनियम(1) और (2) के अधीन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो समझा जायेगा कि वह व्यपगत हो गया है।

(4) किसी ऐसे सदस्य को जो दूसरे सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने या वापस लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदस्य के सब अधिकार प्राप्त होंगे।

चर्चा की परिधि

47–किसी प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्ताव से संबंधित विषय तक ही सीमित रहेगी।

प्रस्ताव में संशोधन

48–किसी प्रस्ताव पर इन नियमों के अधीन रहते हुए संशोधन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

वाद–विवादों पर बंधन

49(1)प्रत्येक भाषण परिषद् के समक्ष विषय से सुसंगत होना चाहिए।

(2)भाषण करते समय कोई सदस्य––

(क)किसी ऐसे विषय का हवाला नहीं देगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत होः–

(ख)किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगाः

(ग)संसद या किसी राज्य के विधान मंडल की कार्यवाहियों के संचालन के संबंध में आपेक्षात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करेगाः

(घ)निम्नलिखित पर आक्षेप नहीं करेगाः

(1) भारत सरकार से यथा सुभिन्न राष्ट्रपति के आचरण पर, या

(2)किसी राज्य सरकार से यथा सुभिन्न उसके राज्यपाल के आचरण पर, या

(3)किसी न्यायाधीश या किसी ऐसे न्यायालय जिसका क्षेत्राधिकार भारत के किसी भाग में हो, के न्यायिक कृत्यों के संबंध में।

(ड0) परिषद् के कार्य में बाधा डालने के लिये अपने भाषण के अधिकर का दुरूपयोग नहीं करेगा।

(च) परिषद् के निर्णय के विरूद्ध आक्षेप नहीं करेगा जब तक ऐसे निर्णय को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव उपस्थित न होः

(छ) वाद–विवाद को प्रभावित करने के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम का प्रयोग नहीं करेगाः

(ज) राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा।

50–सभापति

भाषणों की अवधि

(क) स्वविवेक से परिषद् की कार्यसूची में दी हुयी किसी मद के भाग को या सम्पूर्ण मद को निर्धारित समय के अंदर निपटाने के लिये भाषणों के लिये समय सीमा नियत कर सकते है।

(ख) परिषद् के मतानुसार परिषद् की कार्यसूची पर दी हुयी किसी मद या उसके किसी भाग को निपटाने के लिये समय नियत कर सकते है।

भाषणों के क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

51–(1) प्रस्तावक सदस्य के भाषण के उपरांत अन्य सदस्य भी प्रस्ताव पर उस क्रम से भाषण दे सकते है जैसा कि सभापति निश्चित करें यदि कोई सदस्य सभापति द्वारा पुकारे जाने पर भाषण न करे तो उसे बिना सभापति की अनुज्ञा के वाद–विवाद के दौरान आगे चलकर उस प्रस्ताव पर भाषण करने का अधिकार न होगा।

(2) अन्यथा उपबन्धित प्रतिबन्घों को छोड़कर कोई सदस्य अपने किसी व्यक्तिगत स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के उददेश्य के सिवाय जिसकी अनुज्ञा सभापति द्वारा दी जाये किसी प्रस्ताव पर एक से अधिकार बार भाषण नहीं करेगा और

स्पष्टीकरण के समय कोई भी विवादापस्द विषय उपस्थित नहीं किया जायेगा।

(3) कोई भी सदस्य जिसने कोई मूल प्रस्ताव या विधेयक के किसी खण्ड में संशोधन प्रस्तुत किया हो उत्तर देने के लिये पुनः भाषण दे सकता है और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी असरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को जिसके विभाग से प्रस्ताव या विधेयक का संबंध हो या किसी और मंत्री को प्रस्ताव के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा चाहे उसने वाद–विवाद में पहले भाग लिया हो अथवा नहीं।

प्रस्ताव पर मत प्राप्त करने से पहले सभापति का परिषद् को सम्बोधित करने का अधिकार

52– सभापति किसी प्रस्ताव पर परिषद् का मत प्राप्त करने से पहले किसी प्रक्रम पर परिषद् को सम्बोधित कर सकेंगे।

प्रश्न का उपस्थित किया जाना

53 जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका हो तो उस पर वाद विवाद हो चुका हो तब सभापति परिषद् का मत जानने के लिये प्रश्न उपस्थित करेंगें। यदि किसी प्रस्ताव में दो या दो से अधिकार प्रस्थापनायें हो तो सभापति उनको पृथक प्रश्नों के रूप मे रख सकेंगे।

कार्य स्थगित करने का सभापति का अधिकार

54–सभापति किसी विशेष परिस्थिति में कार्य सूचीबद्ध किसी मद को उसी दिन किसी और समय के लिये बिना किसी चर्चा या मत के स्थगित कर सकते है।

अवशिष्ट शक्तियां

55– ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि सभापति समय समय पर निर्देश करें।

नियमों का निलम्बन

56– कोई सदस्य सभापति की अनुज्ञा से प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद् की कार्य सूची की किसी विशेष मद पर लागू होने वाले नियम को उस मद पर लागू हाने से पूर्णतः या अंशतः या जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वह नियम उस समय के लिये निलम्ति कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में सभा द्वारा विनिश्चत प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा।

परिषद् का विनिश्चय

57–(1) परिषद् के विनिश्चय के लिये आवश्यक किसी विषय पर परिषद् का विनिश्चय सभापति द्वारा किसी सदस्य की ओर से किये गये प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करके किया जायेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित करने से इन्कार कर सकते हैं जिसका प्रस्तावक विनिश्चय किये जाने के समय सदन में उपस्थित न हो, जब तक कि किसी दूसरे सदस्य द्वारा ऐसी दशा में प्रश्न उपस्थित करने की प्रार्थना न की जाये।

(2) मत सामान्यतः कण्ठ ध्वनि द्वारा लिया जायेगा और सभापति सदस्यों में से जो प्रस्ताव के पक्ष में हों उनसे "हां" तथा जो प्रस्ताव के विरोध में हो उनसे "नहीं" कहने के लिये कहेंगे। किसी सदस्य के अनुरोध पर मत हाथ उठवाकर भी लिया जा सकता हैं तदुपरान्त सभापति परिषद् का विनिश्चय घोषित करेंगे।

(3) किसी सदस्य द्वारा तदर्थ अनुरोध किये जाने पर सभापति, विभाजन द्वारा भी मत अभिलिखित करवा सकते हैः

किन्तु यदि सभापति की राय में विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गयी हो तो वे क्रमशः "हां" और "नहीं" वाले सदस्यों से अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कहेंगे और उनकी गिनती हो जाने के उपरान्त सचिव से प्राप्त आख्या के आधार पर परिषद् का विनिश्चय घोषित करेंगे। इस प्रक्रिया में मत देने वाले सदस्यों के नाम अभिलिखित नहीं किये जायेंगे।

(4) विभाजन द्वारा मत लिये जाने की मांग स्वीकार हो जाने की दशा में विभाजन हेत दो मिनट तक घंटी बजाई जायेगी। तदुपरांत परिषद् मंडल के सभी बाहरी द्वार बंद कर दिये जायेंगे और तब किसी सदस्य को परिषद् मण्डप में प्रवेश की अनुमति उस समय तक नहीं होगी जब तक कि विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाये।

(5) विभाजन हेतु समस्त बाहरी द्वारा बंद कर दिये जाने के उपरांत सभापति प्रश्न को पुनः उपस्थित करेंगे। तदुपरांत वे सदस्यों से कहेंगे कि जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वे "हां" परिषद् कक्ष में और जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हों वे "नहीं" परिषद् कक्ष में जाकर विभाजन हेतु वहां उपलबध सूची में हस्ताक्षर करके अपना–अपना मत अभिलिखित करें।

(6) यदि कोई सदस्य भूल से गलत परिषद् कक्ष में प्रवेश कर लें तो उसे अपनी भूल सुधारने का अवसर दिया जा सकता है बशर्ते वह इस तथ्य की जानकारी मत विभाजन का परिणाम घोषित किये जाने से पूर्व सभापति का दे दें।

(7) यदि कोई सदस्य बीमारी अथवा दुर्बलता के कारण अपना मत अभिलिखित करने हेतु परिषद् कक्ष तक जाने से असमर्थ हो तो विभाजन का परिणाम घोषित किये जाने से पूर्वएतदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सभापति ऐसे सदस्य को उसके स्थान पर ही मत अभिलिखित करने की अनुज्ञा दे सकेंगे और सचिव इस हेतु आवश्यक व्यवस्था करायेगें।

(8) मत अभिलिखित करने के इच्छुक सदस्यों द्वारा मत अभिलिखित किये जाने के पश्चात् सचिव दोनों सूचियों में अभिलिखित मतों की गिनती करायेगें और जांचोपरांत उसकी आख्या सभापति को प्रस्तुत करेंगें।

(9) विभाजन के परिणाम की घोषणा सभापति द्वारा तत्काल की जायेगी और उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव

58–(1) किसी विधेयक पर विचार का प्रस्ताव अथवा कार्य स्थगन प्रस्ताव से भिन्न किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार किसी अन्य दिवस के लिये, जो इस हेतु उपलब्ध हो, अथवा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव किसी भी अवसर पर किया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव को उस समय सदन के विचाराधीन किसी कार्य पर प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) सभापति ऐसे प्रसताव के प्रस्तावक को तथा उस प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को, यदि कोई हा, संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने का अवसर देकर प्रस्ताव पर प्रश्न उपस्थित कर सकते है।

(3) यदि सभापति की राय में ऐसा कोई प्रस्ताव परिषद् के कार्य में बाधा डालने अथवा परिषद् की बैठक स्थगित कराये जाने के आशय से किया गया हो तो वह उसकी अनुमति देने से इन्कार कर सकते है।

बिना सूचना के प्रस्ताव

(59) सभापति की अनुज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव बिना सूचना के प्रस्तुत किये जा सकेंगे:

(1) बैठक के स्थगन के लिये प्रस्ताव।

(2) किसी अजनबी व्यक्ति को हटाने के लिये प्रस्ताव

(3) स्थायी या अन्य समितियों के सदस्यों का चुनाव कराने के लिये प्रस्ताव

(4) किसी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प या उस पर संशोधन को वापस लेने के लिये प्रस्ताव।

(5) बधाई देने या शोक प्रकट करने के लिये प्रस्ताव

(6) किसी कार्य को स्थगित करने के लिये प्रस्ताव।

(7)वाद विवाद की समाप्ति के लिये प्रस्ताव।

(8) राज्यपाल को सम्बोधन के लिये प्रस्ताव।

(9) ऐसे वक्तव्यों के लिये प्रस्ताव जिनके संबंध में इस नियमावली में सूचना देने का उपबन्ध न हो।

(10) राज्यपाल के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव।

प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

60–(1) यदि परिषद् में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् कोई प्रस्ताव परिषद् के मत के लिये उपस्थित किया जा चुका हो, या चर्चा के पश्चात् परिषद् की अनुज्ञाा से वापस लिया जा चुका हो तो उसी सत्र में उसी विषय पर कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया जायेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैः–

(क) किसी विधेयक पर विचार किये जाने पर प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव यद्यपि उसी सत्र में उसी प्रकार के प्रस्ताव में इस आशय का कोई संशोधन किया जा चुका हो तो उक्त विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित कर दिया जाय।

(ख)राज्यपाल द्वारा परिषद् के पुनर्विचार के लिये वापस भेजे गये किसी विधेयक में ऐसे संशोधन के प्रस्ताव जो पुनर्विचार के लिये निर्दिष्ट किसी विषय से सुसंगत हो।

(ग) ऐसे प्रस्ताव जो किसी पूर्व स्वीकृत संशोधन के अनुषंगिक हों या, जिनका अभिप्राय केवल, ऐसे संशोधन का आशय बदले बिना उसकी शब्दावली में परिवर्तन करना हो।

(2) यदि नियमों के अधीन कोई प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया हो, तो उसी सत्र में कोई प्रस्ताव,

जिसमें मूलतः वहीं प्रश्न उठाया गया हो, प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

संशोधनों के संबंध में उपबन्ध

61—(1) कोई संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिए जिस पर वह प्रस्तुत किया जाय।

(2) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा जिसके स्वीकृत हो जाने पर उसका प्रभाव केवल नकारात्मक होः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची को निकालने के लिये कोई संशोधन किया जा सकेगा।

(3) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जो किसी विधेयक या प्रस्ताव के उसी अवस्था में उसी विषय पर किये गये पूर्ण विनिश्चय के प्रतिकूल हो।

(4) सभापति कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किये जाने से रोक सकते हैं जो उनकी राय में तुच्छा हो।

संशोधन की सूचना

62—(1) यदि किसी प्रस्तावित संशोधन की सूचना सचिव को प्रसताव पर विचार हेतु निर्धारित तिथि से पूरे एक दिन पहले न दी गयी हो तो कोई सदस्य ऐसे संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी श्आपत्ति मान ली जायेगी जब तक कि सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञाा न दे देंः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे संशोधन के बारे में पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी जो केवल शब्दिक हों या संशोधनों के अनुषंगिक हो या उनके संबंध में हो जो स्वीकृत किए जा चुके है।

(2) यदि पर्याप्त समय हो तो सचिव संशोधन की प्रत्येक सूचना को छपवायेंगे और प्रत्येक सदस्य को उसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे।

संशोधनों का प्रस्ताव

63— जब तक कि सभापति अन्यथा निदेश न दें किसी प्रस्ताव पर संशोधन साधारणतया उसी समय प्रस्तुत किए जायेंगे जब कि उनसे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा चुके हो।

संशोधनों का उपस्थित किया जाना

64—(1) जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक अधिक संशोधन प्रस्तुत किए गए हों, तो उन पर परिषद् का मत जानने से पहले सभापति परिषद् के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों को पढ़कर सुनायेंगे ।

(2) यह सभापति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि

वे पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत के लिए रखें ।

प्रस्तावों के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिबन्ध

65– सभापति किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने से पहले किसी समय उस प्रस्ताव को या उसके किसी भाग को इस आधार पर प्रस्तुत किए जाने से रोक सकते हैं कि वह एक ऐसे विषय से संबंधित है, जिससे कि राज्य सरकार का कोई मूल संबंध नहीं है ।

प्रस्तावों की अस्वीकृति के आदेश पर चर्चा का निषेध

66– सभापति की किसी ऐसी आज्ञा पर जो किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा न देने के बारे में हो, परिषद् में चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

प्रस्तावों की वापसी

67–(1) कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने के बाद बिना सदन की अनुमति के वापस नहीं लिया जा सकेगा ।

(2) सभापति की अनुमति के बिना, किसी प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा पर, चर्चा नहीं की जायेगी ।

(3) किसी प्रस्ताव को वापस लिये जाने के अनुज्ञा मिल जाने पर प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये सभी संशोधन वापस ले लिये गये समझे जायेंगे ।

(4) यदि कोई सदस्य प्रस्ताव को वापस लेने की अनुज्ञा दिये जाने पर आपत्ति करे तो सभापति तुरन्त प्रस्ताव और उस पर प्रस्तावित संशोधन पर, यदि कोई हो, प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं ।

विवादान्त

68–(1) किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किसी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय और जब तक कि सभापति का ऐसा विचार न हो कि प्रश्न उपस्थित करने का प्रस्ताव नियम का दुरूपयोग है या वह समुचित वाद–विवाद के अधिकार का उल्लंधन करता है तो सभापति, प्रश्न उपस्थित करेंगे कि ''अब प्रश्न उपस्थित किया जाए'' ।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन कोई प्रस्ताव किया जाय और यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो प्रश्न उसके आनुषंगिक प्रश्न या प्रश्नों को बिना

संशोधन या वाद–विवाद के तत्काल उपस्थित किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति किसी सदस्य को उत्तर देने का कोई ऐसा अधिकार दे सकते हैं जो इन नियमों के अधीन उसे प्राप्त हो ।

परिषद् की बैठक के समय बाहरी व्यक्तियों का परिषद् मण्डप में प्रवेश

69– परिषद् की बैठक के समय दर्शकों, समाचार पत्र प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों का प्रवेश सभापति द्वारा जारी निदेशों के अधीन होगा ।

बाहरी व्यक्तियों को हटाये जाने का आदेश देने की शक्ति

70– सभापति या तो स्वविवेक से या किसी सदस्य के प्रस्ताव पर परिषद् की बैठक के दौरान किसी समय बाहरी व्यक्तियों को परिषद् मण्डल से हटाये जाने की आज्ञा दे सकते हैं ।

परिषद् की कार्यवाहियों का संक्षिप्त अभिलेख

71– (1) सचिव परिषद् की कार्यवाही का कार्यवृत्त रखेंगे जिसमें परिषद् की प्रत्येक दिन की कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण लिखा जायेगा ।

(2) प्रत्येक बैठक के पश्चात् कार्यवृत्त सभापति की पुष्टि तथा उनके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जायेगा और सभापति के हस्ताक्षर के पश्चात् वह परिषद् की कार्यवाहियों का अधिकृत अभिलेख बन जायेगा ।

परिषद् की कार्यवाहियों का प्रतिवेदन

72–(1) सचिव, परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवदेन भी तैयार करायेंगे और उनको ऐसे रूप में और ऐसे ढ़ंग से, जैसा कि सभापति समय–समय पर निदेश दें, यथा सम्भव शीघ्र प्रकाशित करायेंगे ।

(2) ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति तीन माह के भीतर सचिव द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य तथा राज्यपाल को भेजी जायेगी।

परिषद् की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना

73– यदि सभापति के विचार के विवाद में ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकते हैं कि ऐसे शब्द परिषद् की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें ।

परिषद् की कार्यवाही में से निकाले गये अंशों का संकेत

74– परिषद् की कार्यवाही में से इस प्रकार निकाले गये अंश छापे नहीं जायेंगे अपितु उनके स्थान पर तारांक लगाया जायेगा और स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही में एक पाद टिप्पणी निम्न प्रकार समाविष्ट की जायेगी :–

''सभापति की आज्ञानुसार निकाला गया ।
''

9– परिषद् की समितियां

वार्षिक समितियां

75–(1) प्रत्येक पत्री वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सभापति निम्नलिखित समितियां मनोनीत करेंगे :–

+(क) सभापति के सभापतित्व में एक नियम पुनरीक्षण समिति जो किसी सदस्य द्वारा इन नियमों में प्रस्तावित उन संशोधनों पर विचार करेगी जो नियम 221 के अधीन या सभापति के स्वविवेक से उसे निर्देशित किये गये हों ।

+जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 1438/वि0प0, दिनांक 8 मई, 1957 द्वारा संशोधित हुआ।

(ख) सभापति के सभापतित्व में एक विशेषाधिकार समिति जो ऐसी विशेषाधिकार की अवहलेना की शिकायतों की जांच करेगी जो उसे निर्देशित की गयी हो और अवहेलना के लिए किये जाने के लिए यदि अवहेलना की गयी हो प्रतिकार या दण्ड की भी सिफारिश करेगी ।

(ग) उप–सभापति के सभापतित्व में एक कार्य परामर्शदात्री समिति (बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी) जो नेता सदन के परामर्श से सभापति द्वारा उनको निर्देशित विधेयकों, प्रस्तावों या दूसरे कार्य को या उनकी विभिन्न अवस्थाओं को निपटाने के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश करेगी ।

(घ) उप–सभापति के सभापतित्व के सभापतित्व में एक याचिका समिति (कमेटी आन पेटीशन्स) जो ऐसी याचिकाकाओं की जांच करेगी जो उसे निर्देशित की गयी हो और इसी याचिकाओं में की गयी शिकायतों के उपायों के लिए कार्य का सुझाव देगी ।

++(ड.) मंत्रियों द्वारा समय–समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए आश्वासन समिति होगी ।

(जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 6653–ए/वि0प0, दिनांक

30 दिसम्बर, 1959 द्वारा संशोधित हुआ तथा विज्ञप्ति संख्या 3648–ए/वि0प0 तथा 24059/वि0प0, दिनांक 17 मई, 1961 द्वारा संशोधित हुआ।)

(2) सभापति स्वविवेक से या इस संबंध में परिषद् की इच्छा से परिषद् की किसी भी समिति को अन्य कृत्य भी सुपुर्द कर सकते हैं ।

(3) ये समितियां उस समय तक पदारूढ़ रहेंगी जब तक उनके स्थान पर नई समितियां न बना दी जायं ।

अन्य समितियां नियुक्त करने का अधिकार

76– सभापति स्वविवेक से या इस संबंध में परिषद् की इच्छा से परिषद् के समक्ष किसी दूसरे विषय की तदर्थ नियुक्त समिति को निर्देशित कर सकते हैं ऐसे दूसरे आवश्यक निर्देश दे सकते हैं, जो आवश्यक समझे जायं ।

समितियों के लिए नियम

77– इस अध्याय में आगे दिये गये नियम परिषद् की समस्त समितियों के गठन और कृत्यशीलता को आवश्यक परिष्कारों के साथ, यदि कोई हो, विनियमित करेंगे ।

किसी समिति की नियुक्ति

78–(1) किसी समिति के सदस्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव पारित करके या सभापति द्वारा नाम–निर्दिष्ट करके, जैसी भी दशा हो, नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) कोई भी सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस समिति में कार्य करने के लिए सहमत न हो । प्रस्तावक यह निश्चित कर लेगा कि उसके द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाला सदस्य समिति में कार्य करने के लिए सहमत है ।

(3) किसी समिति में आकस्मिक रिक्तिताओं की पूर्ति निर्वाचन या नाम–निर्देशन द्वारा जैसी भी दशा हो, की जायेगी । कोई सदस्य जो ऐसी रिक्तिताओं की पूर्ति के लिए निर्वाचित या नाम–निर्देशित हुआ है उस अवधि तक पद धारण करेगी जिस अवधि तक वह सदस्य जिस स्थान पर निर्वाचित या नाम–निर्देशित हुआ है, पद धारण करता ।

समिति के सदस्यों का त्याग–पत्र

79– कोई सदस्य किसी समिति में अपने स्थान को स्वहस्तलिखित पत्र द्वारा जो सभापति को सम्बोधित

होगा, त्याग करेगा ।

समिति का सभापति

80– जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो :–

(1) किसी समिति का सभापति परिषद् के सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जायेगा :–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उप सभापति किसी समिति के सदस्य हों तो वे उस समिति के सभापति नियुक्त किये जायेंगे ।

(2) यदि किसी समिति का सभापति किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हों तो परिषद् के सभापति उसके स्थान पर समिति का दूसरा सभापति नियुक्त कर सकते हैं ।

(3) यदि किसी समिति का सभापति उसकी किसी बैठक से अनुपस्थित हो तो समिति उस बैठक के लिए किसी दूसरे सदस्य को सभापति चुन लेगी ।

गणपूर्ति

80–(1) किसी समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति उस समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई से निकटतम होगी।

(2) समिति की किसी बैठक के लिए निर्धारित किसी समय पर या ऐसी बैठक के दौरान में किसी समय यदि गणपूर्ति न हो तो समिति का सभापति या तो बैठक उस समय तक के लिए निलम्बित कर देगा जब तक कि गणपूर्ति न हो या बैठक किसी अगले दिन के लिए स्थगित कर देगा ।

(3) जब उप नियम (2) के अन्तर्गत कोई समिति बैठक के लिए निर्धारित दो लगातार दिनांकों को स्थगित हो चुकी हो तो समिति का सभापति इसका प्रतिवेदन परिषद् को करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब समिति परिषद् के सभापति द्वारा नियुक्ति की गयी हो तो समिति का सभापति ऐसे स्थगन का प्रतिवेदन सभापति को करेगा ।

समिति की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों

82– यदि कोई सदस्य किसी समिति की लगातार दो या दो से अधिक बैठकों से समिति के सभापति की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य

का समिति से हटाया जाना

को समिति से हटाने के लिए परिषद् में प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी समिति के सदस्य सभापति द्वारा नाम–निर्देशित हों तो ऐसे सदस्य को सभापति द्वारा हटाया जा सकेगा ।

समिति में मतदान

83– किसी समिति की किसी बैठक में समस्त प्रश्न का निर्धारण उस बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा ।

सभापति का निर्णायक मत

84– यदि किसी विषय पर समान मतदान किया गया हो तो समिति के सभापति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

उप समितियां नियुक्त करने की शक्ति

85–(1) कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों को, जो उसे निर्देशित किये जायें, जांच करने के लिए एक या अधिक उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिनमें से प्रत्येक को अविभक्त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायं ।

(2) उप समिति के निर्देश पत्र में अनुसन्धान के लिए विषय या विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा । उस समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा ।

समिति की बैठकें

86– समिति की बैठकें ऐसे दिन और समय होंगी जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी समिति का सभापति आसानी से उपलब्ध न हो तो सचिव बैठक का दिन और समय निर्धारित कर सकता है ।

समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो

87– समिति की बैठक उस समय हो सकेगी जब परिषद् की बैठक हो रही हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् में विजानक की मांग होने पर समिति का सभापति समिति की कार्यवाही को ऐसे समय तक के लिए निलम्बित कर सकेगा जो उसकी राय में सदस्यों को विभाजन के लिए मतदान करने का अवसर देने के लिए पर्याप्त हो ।

समिति की बैठक असार्वजनिक

88– समिति की बैठक गुप्त स्थान में होगी ।

बैठकों का स्थान

89– साधारणतया किसी समिति की बैठक विधान भवन के अन्दर होगी और यदि यह आवश्यक हो जाये कि बैठक का स्थान विधान भवन के बाहर परिवर्तित किया जाय तो यह विषय सभापति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा ।

समिति द्वारा विचार–विमर्श के समय सभी अपरिचित व्यक्ति वहां से हट जायेंगे

90– जिस समय समिति में विचार–विमर्श हो रहा हो समिति के सदस्यों और विधान परिषद् समिति के अधिकारियों को छोड़कर सभी व्यक्ति बाहर चले जायेंगे ।

साक्ष्य लेने या पत्र,अभिलेख तथा प्रपत्र मांगने की क्षमता

91–(1) किसी साक्षी को सचिव के हस्ताक्षर किये हुए आज्ञा पत्र द्वारा बुलाया जा सकता है । साक्षी ऐसे प्रपत्रों को प्रस्तुत करेगा जिसकी समिति को आवश्यकता है ।

(2) यह समिति के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वह अपने सामने दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे ।

(3) किसी समिति के सामने प्रस्तुत किया हुआ प्रपत्र बिना समिति की जानकारी और अनुमोदन के न तो वापस लिया जायेगा और न उनमें रूपान्तर किया जायेगा ।

समिति को भी साक्षियों को बुलाने व पत्र और अभिलेखों को मांगने की क्षमता

92– किसी समिति को व्यक्तियों को बुलाने तथा प्रपत्र और अभिलेख के मांगने की शक्ति होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसा प्रश्न उठे कि किसी व्यक्ति के साक्ष्य या किसी प्रपत्र को प्रस्तुत करना समिति के प्रयोजन के लिए आवश्यक है या नहीं तो ऐसा प्रश्न सभापति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सरकार किसी प्रपत्र को उपस्थित करने से इस आधार पर इंकार कर सकती है कि उसका उपस्थित किया जाना राज्य के हित या सुरक्षा के प्रतिकूल होगा ।

विशेष प्रतिवेदन

93– समिति, यदि वह उचित समझे तो किसी विषय पर जो कि उसके कार्य के प्रसंग में उसके समक्ष आये, एक विशेष प्रतिवेदन दे सकती है जिसे वह उचित समझे कि इसकी सूचना सभापति या परिषद् को देना आवश्यक है और इसमें इस बात

का विचार नहीं किया जायेगा कि ऐसे विषय का समिति के विचारार्थ विषयों से सीधे संबंध नहीं है या उसके अन्तर्गत नहीं आता या उससे आनुषंगिक नहीं है ।

साक्ष्य प्रतिवेदन और कार्यवाहियां गोपनीय समझी जायेंगी

94–(1) समिति आदेश दे सकती है कि कोई साक्ष्य सम्पूर्णतया या उसका कोई अंश या उसका संक्षिप्त विवरण मेज पर रखा जाय ।

(2) मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश या प्रतिवेदन या समिति की कार्यवाही का, जो मेज पर नहीं रखी गयी है, निरीक्षण बिना सभापति की आज्ञा के कोई व्यक्ति नहीं करेगा।

(3) समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य जब तक कि वह मेज पर न रख दिया जाए तब तक समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशित नहीं किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति स्वविवेक से आदेश दे सकते हैं कि ऐसा साक्ष्य औपचारिक रूप से मेज पर रखे जाने से पहले गोपनीय रूप से सदस्यों को उपलब्ध करा दिया जाय ।

साक्ष्य लिये जाने की प्रक्रिया

95– समिति के सामने साक्षियों की जांच निम्न प्रकार की जायेगी :–

(1) समिति किसी साक्षी को जांच के लिए बुलाने के पहले प्रक्रिया की रीति के तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप को निश्चित करेगी जो साक्षी से पूछे जायेंगे ।

(2) समिति के सभापति इस नियम के खण्ड (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जिसे वह विषय या तत्संबंधी किसी विषय के लिए आवश्यक समझे ।

(3) समिति के सभापति समिति के दूसरे सदस्यों को क्रमानुसार अन्य प्रश्न पूछने के लिये अनुमति दे सकते हैं ।

(4) साक्षी को समिति के समक्ष कोई अन्य सुसंगत बातें रखेने को कहा जा सकता है जो पहले न आ चुकी हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो ।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाय तो समिति की कार्यवाही का अक्षरशः अभिलेख रखा जायेगा ।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के समस्त सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा ।

समिति का प्रतिवेदन

96– (1) जबकि परिषद् ने प्रतिवदेन प्रस्तुत करने के लिए कोई समय नियुक्ति न किया हो तो प्रतिवेदन उस दिनांक से जबकि उक्त विषय समिति को निर्दिष्ट किया गया था, दो महीने के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् किसी समय कोई प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकती है कि समिति द्वारा स्वीकृत प्रतिवदेन प्रस्तुत करने का समय प्रस्ताव में उल्लिखित दिनांक तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(2) प्रतिवदेन या तो आंशिक या अंतिम हो सकते हैं।

(3) यदि किसी समिति का कोई सदस्य किसी विषय पर विमति टिप्पणी देना चाहे तो उसको बहुमत द्वारा प्रतिवदेन पर इस बात का उल्लेख करके हस्ताक्षर करने होंगे कि वह इस प्रतिवदेन पर अपनी विमति टिप्पणी देकर हस्ताक्षर कर रहा और उसी समय वह अपनी विमति टिप्पणी दे देंगे जब तक कि समिति के सभापति इसके विपरीत अनुज्ञा न दें ।

(4) जो सदस्य समिति की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहा हो उससे न तो प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने का कहा जायेगा और न उसे विमति टिप्पणी देने का अधिकार होगा ।

(5) यदि सभापति के विचार में विमति टिप्पणी में ऐसे शब्द वाक्य या पदावली है, जो असंसदीय या किसी अन्य प्रकार से अनुपयुक्त है तो वे आज्ञा दे सकते हैं, ऐसे शब्द, वाक्य या पदावली विमति–टिप्पणी से निकाल दिये जायें ।

प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

97–(1) किसी समिति का प्रतिवदेन समिति के सभापति या समिति के किसी सदस्य द्वारा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) प्रतिवेदन उपस्थित करते समय समिति या सभापति उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाले सदस्य, यदि उस पर कोई टिप्पणी करना चाहे तो वह कथन का संक्षिप्त विवरण देने तक ही समिति रखेगा और उस समय उस प्रतिवदेन का कोई वाद–विाद नहीं होगा ।

प्रक्रिया में संबंध में सुझाव देने का अधिकार

98– समिति को सभापति के विचारार्थ उस समिति से सम्बन्धित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प के पारित करने की शक्ति होगी जो प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझें ।

प्रक्रिया या दूसरी बातों के संबंध में

99– (1) सभापति समय–समय पर समिति के सभापति को ऐसे निर्देश दे सकता है जिन्हें वह उनकी प्रक्रिया और कार्य के संगठन के विनियम के लिए आवश्यक समझें ।

सभापति को निर्देश देने का अधिकार

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो समिति का सभापति यदि उचित समझे तो उस विषय को सभापति को निर्दिष्ट कर देगा और उस पर सभापति का निर्णय अंतिम होगा ।

समितियों के सदस्यों की संख्या

100– परिषद् की किसी समिति में साधारणतया 11 सदस्य होंगे ।

विधान सभा की समितियों के साथ बैठने की शक्ति

101– परिषद की किसी समिति का विधान सभा की किसी ऐसी समिति के साथ संयुक्त रूप में बैठने और विचार विमर्श करने की शक्ति होंगी, जो समान प्रयोजन के लिये नियुक्त की गयी हों ।

समिति का सचिव

102– सचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति परिषद् की समिति के सचिव का कार्य करेगा ।

10– दोनों सदनों की संयुक्त समितियां

संयुक्त समितियों की नियुक्ति का प्रस्ताव

103–(1) कोई सदस्य पूरे एक दिन का नोटिस देकर यह प्रस्ताव कर सकता है कि किसी विधेयक के अतिरिक्त परिषद् की कार्यसूची पर दिया हुआ कोई विषय दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाय और यदि वह प्रस्ताव पारित हो जाय तो विधान सभा को संदेश भेज दिया जायेगा जिसमें उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत होने के लिये कहा जायेगा और उनकी सहमति प्राप्त होने पर संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये अपेक्षित

संख्या में सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए कहा जायगा ।

(2) यदि परिषद् को यह संदेश प्राप्त हो कि विधान सभा प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो बिना सूचना के एक प्रस्ताव किया जा सकता है कि उक्त विषय को परिषद् की समिति के सुपुर्द किया जाय।

विधान सभा से संदेश प्राप्त होने पर प्रक्रिया

104–(1) विधान सभा में कोई ऐसा संदेश प्राप्त होने पर जिसमें किसी विषय को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद् की सहमति मांगी गई हो, किसी भी समय कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि परिषद् सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमत है ।

(2) यदि परिषद् प्रस्ताव से सहमत हो तो परिषद् इन नियमों के अनुसार संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये अपने सदस्यों का चुनाव करेगी। सभा को परिषद् की सहमति का संदेश और निर्वाचित सदस्यों के नाम भेज दिये जायेंगे ।

<u>10–(क) वाद–विवाद के लिये स्थगन प्रस्ताव</u>

कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभापति की सम्मति की आवश्यकता एवं प्रस्ताव की ग्राहयता पर प्रतिबन्ध

+105–किसी लोक महत्व के निश्चित् अविलम्बनीय विषय पर चर्चा
के लिये परिषद् में कार्य–स्थगन का प्रस्ताव करने का अधिकार,
सभापति की सम्मति से, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन होगा,अर्थात्

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा न होगी,

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी,

(3) प्रस्ताव किसी तत्काल घटित विषय तक सीमित रहेगा,
(4) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है,

(5) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर चर्चा की प्रत्याशा नहीं की जाएगी जिसके परिषद् में समुचित समय के भीतर आने की सम्भावना हो,

(6) प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कि इन नियमों के अंतर्गत कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सके,

(7)प्रस्ताव द्वारा कोई ऐसा विषय नहीं उठाया जाएगा जिस पर केवल किसी मौलिक प्रस्ताव द्वारा इन नियमों या संविधान के अंतर्गत चर्चा हो सकती है।

(8)प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

(+नियम 105 से 115 जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 1961/विप/संसदीय– 28 (सं)/91 दिनांक 13 सितम्बर, 1991 द्वारा संशोधन हुआ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

106–लोकमहत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर बहस करने के लिये परिषद् में कार्य–स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के मन्तव्य की सूचना परिषद् की बैठक आरम्भ होने से कम से कम डेढ़ घंटा पहले सचिव को चार प्रतियों में दी जायेगी जो उसकी एक प्रति सदन के नेता को भेज देंगे ।

सभापति द्वारा कार्य स्थगन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर विनिश्चय

107–(1) किसी बैठक हेतु उस दिन प्राप्त कार्य–स्थगन नियमानुसार प्रस्ताव की सूचनाओं में से सभापति अधिकतम 5 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम 105 की शर्तों को पूरा करती हों और सभापति के मत में महत्वपूर्ण हों । उक्त 5 सूचनाओं को, ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय सदन में सुना जा सकता हैं उस दिन प्राप्त अन्य सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी ।

(2) यदि सभापति की यह राय हो कि प्रस्ताव नियमानुसार ग्राह्य नहीं हैं, तो वह प्रस्ताव को परिषद् में पढ़कर सुना सकते हैं, और प्रस्ताव को नियमानुकूल न होने के फलस्वरूप अग्राह्य घोषित करने से पूर्व सूचना देने वाले सदस्य, अन्य सदस्यों और मंत्री को प्रस्ताव की ग्राह्यता के पक्ष और विपक्ष में संक्षेप में सुन सकते हैं:

किंतु इस प्रकम पर सदन में कोई विवाद उपस्थित नहीं किया जायगा।

कार्य स्थगन

108–सभापति कार्य–स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने

प्रस्ताव को चर्चा अथवा वक्तव्य के लिये की गयी प्रार्थना के रूप में ग्राह्य करने का सभापति का अधिकार

के मन्तव्य की सूचना को नियम 110 के अधीन अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर चर्चा हेतु अथवा नियम 111 के अधीन अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर वक्तव्य देने के लिए की गयी प्रार्थना के रूप में ग्राह्य कर सकते हैं और उस संबंध में आवश्यक निदेश जारी कर सकते हैं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की प्रक्रिया

109–(1)यदि सभापति की राय है कि वह प्रस्ताव जिस पर चर्चा प्रस्तावित है, नियमानुकूल है, तो वह प्रस्ताव को परिषद् के समक्ष पढ़कर सुनायेंगे और परिषद् से यह पूछेंगे कि उस सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति है या नहीं यदि आपत्ति उठाई जाय तो सभापति उन सदस्यों से जो प्रस्ताव का समर्थन करते हों, प्रार्थना करेंगे कि वे अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जायं और यदि इस प्रकार कम से कम 10 सदस्य खड़े हो जायं तो सभापति यह सूचित करेंगे कि अनुमति प्रदान की जाती है और प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये समय नियत कर देंगे । प्रस्ताव पर साधारणतया 4 बजे अपराह्न चर्चा की जायेगी किंतु सभापति सदन के नेता की सम्मति से यदि ऐसा निर्देश दें तो उसी दिन किसी और समय की जा सकेगी। यदि 10 से कम सदस्य खड़े हों तो सभापति सदस्य को सूचित कर देंगे कि परिषद् उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं देती ।

चर्चा की कालावधि

(2)अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर चर्चा करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले ही समाप्त न हो जाय तो, उसके प्रारम्भ होने के दो घंटे पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद कोई प्रश्न उपस्थित नहीं किया जायेगा ।

(3)जब तक कि सभापति अन्यथा आदेश न दें, ऐसे वाद–विवाद में कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का न होगा ।

<u>10–(ख)अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा</u>

चर्चा उठाने की सूचना

110–(1)अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतः तथा सुतथ्यतः उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप से सूचना दे सकेगाः

परंतु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा

उठाने के कारण देते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी, और सूचना का समर्थन कम से कम एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से होगा ।

सभापति ग्राह्यता का विनिश्चय करेंगे

(2)यदि सभापति को इस बात का समाधान हो जाय कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए तो वे सूचना को ग्रहण कर सकेंगे और नेता सदन के परामर्श से उक्त विषय को चर्चार्थ लेने के लिए तिथि व समय निश्चित कर देंगे तथा चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि वे परिस्थितियों में उचित समझें और जो दो घंटे से अधिक न हों:

परंतु ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो सभापति सूचना ग्रहण करने से इन्कार कर सकेंगे ।

औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा

(3)सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी, चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी । विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री का अंतिम कथन हो जाने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी ।

भाषणों के लिये समय सीमा

(4) सभापति,यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय सीमा निर्धारित कर सकेंगे ।

11—अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य

अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर वक्तव्य

111—(1)कोई सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री से वक्तव्य देने की प्रार्थना के अपने मन्तव्य की सूचना बैठक प्रारम्भ होने के डेढ़ घंटा पूर्व सचिव को दे सकता है । ऐसी सूचना चार प्रतियों में होगी। सचिव सूचना की दो प्रतियां सदन के नेता को सूचनार्थ भेज देंगे ।

(2)किसी बैठक में एक से अधिक सूचनाएं नहीं ली जायेंगी और जब एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हों

तो सभापति उस सूचना को स्वीकार करेंगे जो उनकी राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हों ।

(3)सभापति उपनियम (2) के अंतर्गत स्वीकृत सूचना के संबंध में संबंधित सदस्य को सदन में उक्त सूचना पढ़ने की अनुज्ञा दे सकते हैं ।

वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारण

112–सभापति द्वारा नियम–111 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य स्वीकार किये जाने के उपरांत सम्बद्ध मंत्री सूचना के विषय पर उसी दिन अपना वक्तव्य दे सकेंगे । यदि मंत्री उसी दिन वक्तव्य देने की स्थिति में न हों तो वह वक्तव्य के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने का अनुरोध सभापति से करेंगे और सभापति वक्तव्य के लिए तिथि नियत करेंगे । सम्बद्ध मंत्री इस प्रकार नियत तिथि को लिखित वक्तव्य सदन में देंगे ।

वक्तव्य के अवसर पर विवादास्पद विषय उठाये जाने का निषेध

113–साधारणतया वक्तव्य दिये जाने के पश्चात् किसी वाद–विवाद की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी किंतु सभापति सदस्यां को वक्तव्य में कही गई बातों के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकते हैं। ऐसे अवसर पर कोई विवाद उपस्थित नहीं किया जायेगा ।

मंत्री द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर वक्तव्य

114–कोई मंत्री सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सभापति की अनुज्ञा से सदन में वक्तव्य दे सकते हैं ।

ध्यानाकर्षण की सूचनाएं

115–(1)कोई सदस्य लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की सूचना सचिव को सदन की बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम डेढ़ घंटा पूर्व दे सकेंगे तथा उसमें दो सौ से अधिक शब्द नहीं होंगे। ऐसी सूचना चार प्रतियों में होगी। सचिव सूचना की दो प्रतियां तुरंत नेता सदन को भेज देंगे ।

(2)जब तक सभापति अन्यथा विनिश्चय न करें सदन की किसी बैठक के लिये ध्यानाकर्षण की

प्राप्त सूचनाओं में से अधिकतम 6 सूचनाएं स्वीकार की जायेंगी और उस तिथि को प्राप्त अन्य सूचनाएं व्यपगत हो जायेंगी। संबंधित मंत्री यदि चाहें तो ऐसी सूचना के विषय में अपना संक्षिप्त वक्तव्य सदन में तुरंत दे सकते हैं ।

(3)ऐसी सूचना पर सदन में कोई वाद–विवाद नहीं होगा किंतु संबंधित मंत्री उक्त सूचना के संबंध में की गयी कार्यवाही की अंतरिम सूचना संबंधित सदस्य को एक माह के अंदर देंगे ।

(4)प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अंदर नेता सदन द्वारा सूची सदन की मेज पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण हो, परंतु ऐसी सूचनाएं जो सदन के संज्ञान में ऐसा विवरण रखे जाने के तीस दिन से कम अवधि पूर्व लाई गई हों, उनका विवरण आगामी सत्र में रखी जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जायेगा ।

11–क–मंत्री द्वारा वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग दिया हो

मंत्री द्वारा पद त्याग के स्पष्टीकरण संबंधी वक्तव्य

116–(1)कोई सदस्य,जिसने अपने मंत्री पद का त्याग कर दिया हो, सभापति की सम्मति से अपने त्याग–पत्र के स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकते हैं ।

(2)ऐसे वक्तव्य प्रश्नों के पश्चात् और दिन को कार्य–सूची आरम्भ होने से पहले दिया जायेगा ।

(3)ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद–विवाद नहीं होगाः

किंतु प्रतिबंध यह है कि सदस्य के वक्तव्य के उपरांत किसी मंत्री को वक्तव्य देने का अधिकार होगा ।

12– प्रश्न

प्रश्न का समय

117–जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा ।

प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं

118–(1)सार्वजनिक हित के किसी विषय पर सूचना प्राप्त करने के लिए जो संविधान या किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मुख्यतया राज्य की

सरकार के प्रशासकीय या विधायिनी सक्षमता में हों, कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ।

(2)किसी मंत्री के सम्बोधित प्रश्न का संबंध उस सार्वजनिक कार्य से होगा जिससे कि उनका सरकारी तौर से सम्बन्ध हो या सम्बन्ध किसी ऐसे प्रशासकीय विषय से होगा जिसके लिए वह उत्तरदायी हो ।

(3)किसी गैर सरकारी सदस्य को सम्बोधित प्रश्न का संबंध किसी विधेयक, प्रस्ताव या परिषद् के कार्य से संबंधित किसी दूसरे विषय से होगा जिसके लिए वह सदस्य जिम्मेदार हो ।

मौखिक उत्तरों के लिए प्रश्न

119–(1) कोई सदस्य यदि किसी प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहते हों तो वह उस प्रश्न के आरम्भ में एक ताराक लगा देंगेः
किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे प्रश्न में ताराक नहीं लगाया जायेगा जिसमें केवल ऑकड़े संबंधी सूचना मॉगी गयी हो।

(2) ऐसे सभी प्रश्न जिनका कि भेद ताराक द्वारा नहीं किया गया हो लिखित उत्तर मॉगने के लिए समझे जायेंगेः
किन्तु प्रतिबनध यह है कि सभापति स्वविवेक से किसी मौखिक उत्तर वाले प्रश्न को संबंधित सदस्य को बिना यह बताये जाने का अवसर दिये हुए कि क्यों न उस प्रश्न को लिखित उत्तर वाले प्रश्नों की सूची में रखा जाय, उसको लिखित उत्तर वाली प्रश्नों की सूची में रख सकते हैं।

उच्च प्राधिकारियों से विवादान्तर विषयों के बारे में प्रश्न

120– उस प्रश्न के अतिरिक्त, जो वास्तविक तथ्य के बारे में हो और जिसका उत्तर केवल वास्तविक तथ्यों के वर्णन करने तक ही सीमित रहेगा,कोई प्रश्न ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कि राष्ट्रपति और राज्य सरकार के बीच विवाद का विषय हो या रहा है।

प्रश्न का रूप और विषय

121– कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा जो निम्नलिखित प्रतिबन्धों को पूरा करता हो, अर्थात–

(1) उसकी इस प्रकार रचना की जायेगी कि उसमें केवल सूचना मॉगने के लिए प्रार्थना हो और उसमें वास्तव में इस मामले के बारे में किसी विशेष कार्यवाही के लिए सुझाव नहीं दिया जायेगा,जिसे प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने अपने प्रश्न में

उठाया हो,

(2) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए नितान्त आवश्यक न हो,

(3) यदि उसमें सदस्य द्वारा कोई कथन किया गया है, तो प्रश्नकर्ता सदस्य को उस कथन की कथार्थता के लिये स्वयं उत्तरदायी होना पड़ेगा।

(4) उसमें तर्क,अनुमान,व्यंगात्मक वाक्य अभ्यारोप उपाधि या अपमानजनक विवरण नहीं होंगे,

(5) उसमें राय प्रकट करने का संक्षिप्त वैधानिक प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा,

(6) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक रूप के अतिरिक्त उसके चरत्रि या आचरण का उल्लेख नहीं होगा,

(7) वह अत्यधिक लम्बा नहीं होगा,

(8) उसमें किसी समिति की ऐसी कार्यवाहियों का विवरण नहीं मॅागा जायेगा जो कि समिति के प्रतिवेदन द्वारा परिषद् के सामने प्रस्तुत नहीं हुई है,

(9) उसमें व्यक्गित रूप का दोषारोपण नहीं किया जोयगा और न वह उसमें अन्तर्निहित होगा,

(10) उसमें ऐसी नीति के जो इतनी विस्तीर्ण हो कि वह प्रश्न के उत्तर की सीमा के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे,

(11) उसमें ऐसे प्रश्नों को वस्तुतः नहीं दुहराया जायगा जिसका कि उत्तर दिया जा चुका है या जिसका उत्तर देने से इनकार कर दिया गया है,

(12) उसमें तुच्छ विषयों पर सूचना नहीं मॅागी जायेंगी,

(13) साधारणतया विगत इतिहास के विषयों पर सूचना नहीं मॅागी जायेगी,

(14) उसमें ऐसी सूचना नहीं मॅागी जायेगी जो प्राप्त लेखों(प्रपत्रों) अथवा सामान्य निर्देश ग्रंथों में दी हों,

(15) उसमें किसी ऐसे विषय के बारे में सूचना नहीं मॅागी जायेगा जो कि भारत के किसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो,

(16) उसका केवल ऐसे विषय से संबंध होगा जो कि राज्य की सरकार के क्षेत्राधिकार में हो,

(17) उसमें व्यक्गित या पूर्णतया पक्ष विशेष की शिकायत नहीं होगी,

(18) उसमें सारतः किसी ऐसे प्रश्न का पूर्वाभास नहीं होगा जो कि स्वीकार किया जा चुका है,

(19) उसमें ऐसे विषयों में सूचना नहीं मॅागी जायेगा जो कि उन संस्थाओं से संबंधित हो जो कि मुख्यतः राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्न

+122— एक सदस्य एक दिन में मौखिक उत्तरों के लिए प्रस्तुत किय जाने वाले 5 से अधिक प्रश्नों को नहीं पूछ सकेगा।
(जैसा कि विज्ञाप्ति संख्या 6653—ए/वि0प0, दिनांक 30 दिसम्बर, 1959 द्वारा संशोधित हुआ।)

प्रश्नों की सूचना

123—(1) जब कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहे तो वह सचिव को लिखित रूप से सूचना देगा जो 15 दिवसों से कम न होगी और उस सूचना के साथ उस प्रश्न की प्रतिलिपि भेजेगा जिसको वह पूछना चाहता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति उस मंत्री की अनुज्ञा से जिसके विभाग से प्रश्न के विषय का संबंध है उसकी अल्प सूचना पर पूछने के लिए आदेश दे सकते हैं।

(2) जब कोई सदस्य किसी अल्पसूचित प्रश्नों का उत्तर चाहता हो तो वह संक्षेप में उस प्रश्न के अल्पसूचना पर पूछे जाने का कारण देगा। जब प्रश्न की सूचना में कोई कारण नहीं दिए हुए हों तो प्रश्न एक साधारण प्रश्न के रूप में माना जाएगा।

सभापति प्रश्नों की ग्राह्यता पर निर्णय देंगे

124– सभापति प्रश्न की ग्राह्यता पर निर्णय देंगे। वह सूचना अवधि में किसी प्रश्न को अस्वीकार कर सकते हैं जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरूपयोग है या उसका ऐसे विषय से संबंध है जिसका मूलतः राज्य सरकार से संबध नहीं है। वह किसी ऐसे प्रश्न को अस्वीकार करेंगे जो उनकी राय में नियमों के प्रतिकूल है। वह स्वविवेक से किसी प्रश्न के रूप को नियमानुकूल बनाने के लिये उसे संशोधित कर सकते हैं। ऐसे अस्वीकृत प्रश्न, प्रश्न की सूची में नहीं रखा जायेगा।

प्रश्न का सभापति और सरकार के समक्ष उपस्थित किया जाना

125– सचिव ऐसे प्रत्येक प्रश्न की प्रतिलिपि, जिसकी उन्हें सूचना दी गयी हो सभापति को प्रस्तुत करेंगे जब सभापति प्रश्न को अस्वीकार कर लेंगे तो उसकी एक प्रतिलिपि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव को भेजी जायेगी।

प्रश्नों की सूची

126– ऐसे प्रश्न जो अस्वीकार न किये गये हों किसी दिन के प्रश्नों की सूची में दर्ज किये जायेंगे और यदि प्रश्नों के लिये उपलब्ध समय में अनुमति दें तो वे बैठकों में दूसरी कार्यवाही आरम्भ करने से पहले उस क्रम में लिये जायेंगे जिसमें कि वह सूची में रखे गये हैं।

पूरक प्रश्न

127– कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य वस्तु को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ जिसके बारे में मौखिक उत्तर दिया गया है, पूरक प्रश्न पूछ सकता हैः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति कोई ऐसा पूरक प्रश्न अस्वीकार कर सकेंगे यदि उनकी राय में उससे प्रश्न संबंधी नियम भंग होते हैं।

प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जायेगा

128–इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सूचना की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्नों के उत्तर तत्काल दिये जायेंगेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति उस मंत्री की प्रार्थना पर जिसके विभाग से प्रश्न के विषय का संबंध हो,किसी प्रश्न के उत्तर देने के समय को बढ़ा सकेगा, ऐसी अवधि तीन सप्ताह से अधिक न बढ़ायी जायगी यदि उस अवधि के समाप्त होने पर परिषद् की बैठक हो रही हो तो ऐसे प्रश्न का उत्तर अगली बैठक के पहले दिन दिया जायगा। यदि अब भी सूचना प्राप्त न हुई हो तो वह मंत्री जिनको कि प्रश्न भेजा गया है, परिषद् को देरी का कारण बतायेगें।

प्रश्न की वापसी या उनका स्थगन

129– कोई सदस्य उस बैठक से पहले जिसके लिये उसका प्रश्न सूची में रखा गया है किसी समय सूचना देकर अपना प्रश्न वापस ले सकेगा या उसे किसी ऐसे अन्य दिन के लिये स्थगित कर सकेगा जिसे वह सूचना में बतायेगा और उसके बाद के दिन वह प्रश्न उन सब प्रश्नों के बाद सूची में रखा जायेगा जो कि इस प्रकार स्थगित नहीं किये गये।

प्रश्न किस प्रकार पूछे जायेंगे

130–(1) प्रश्न उस तरीके से पूछे जायेंगे जैसा कि सभापति अपने स्वविवेक से निर्धारित करें।

(2) सभापति किसी अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर लोक हित में दिये जाने की आज्ञा दे सकते हैं।

लम्बे विवरण पढ़े गये समझे जायेंगे

131– सभापति निदेश दे सकते हैं कि मौखिक उत्तरों के लिये प्रश्नों से सम्बन्धित लम्बे विवरण पढ़े हुए समझे जायेंगे और परिषद् की कार्यवाही में छापे जायेंगे।

प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की रीति

132–(1) जब तक सभापति अन्यथा आदेश न दें प्रश्नों के छपे हुए उत्तर सरकार द्वारा सचिव को प्रेषित किये जायेंगे जो उनको परिषद् की बैठक के लिये नियत समय से एक घण्टा पूर्व सदस्यों की मेजों पर रखवा देंगे।

(2) यदि प्रश्न सूचना देने वाला सदस्य अनुपस्थित हो तो कोई दूसरा सदस्य सभापति की अनुज्ञा से उसे पूछ सकेगा। किन्तु सभापति निदेश दे सकेंगे कि जो प्रश्न परिषद् से नहीं पूछे गये हैं

और जिनका उत्तर नहीं दिया गया है वे भी कार्यवाही में प्रकाशित किये जायेंगे।

परिषद् की कार्यवाहियों में प्रश्नों के उत्तर का समावेश किया जाना

133–(1) वे सब प्रश्न जो पूछे गये हो और उनके उत्तर परिषद् की कार्यवाहियों में दर्ज किये जायेंगे जिनकी सूची में दर्ज किये हुए प्रश्न जो कि समयाभाव के कारण पूछे न जा सके हों उत्तर सहित परिषद् की कार्यवाहियों में दर्ज किये जायेंगे जब तक कि सभापति यह निर्देश दें कि प्रश्न किसी आगामी दिनॉक में लिये जायेंगेः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई प्रश्न जो कि स्वीकार किया गया है इस प्रकार दर्ज नहीं किया जायगा।

(2) सभापति सार्वजनिक हित में उन प्रश्नों के उत्तरों को देनेकी आज्ञा दे सकते हैं, जो बच रहे हों ।

सभापति के निर्णय पर चर्चा निषेध

134– किसी प्रश्न के ग्राह्यता या किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के लिए दिये गये उत्तर के संबंध में सभापति के निर्णय पर चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न किसी सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा

135(1) यथेष्ठ सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जो कि परिषद् में किसी प्रश्न का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिए सभापति पांच बजे से साढ़े पांच बजे तक आधा घंटे का समय नियत करेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दिन के लिए निर्धारित दूसरा कार्य पांच बजे से पहले समाप्त हो जाए, तो आधे घण्टे की अवधि उस समय से आरम्भ होगी, जिस समय कि ऐसा दूसरा कार्य समाप्त हो जाए ।

(2) कोई सदस्य जो किसी विषय को उठाना चाहे, उस दिन से तीन दिन पहले सचिव को लिखित सूचना देगा, जिस दिन कि वह उस विषय को उठाना चाहता हो और ऐसा करने में वह उस बात

या उन बातों को भी संक्षेप में बतायेगा, जिन्हें वह उठाना चाहता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सभापति संबंधित मंत्री की सहमति से उस प्रतिबन्ध को हटा सकेंगे जो कि सूचना की अवधि के बारे में है ।

(3) यह विनिश्चय सभापति करेंगे कि विषय इतने लोक महत्व का है या नहीं कि उस पर चर्चा की जाए ।

(4) परिषद् के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिए जायेंगे । जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा और संबंधित मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे । किसी ऐसे सदस्य को जिसने कि पहले से सभापति को सूचित कर दिया हो किसी तथ्य को और स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

प्रश्नों के उत्तरों का पूर्व प्रकाशन

136– प्रश्नों के उत्तरों को जिन्हें मंत्री परिषद् में देना चाहते हैं उस समय तक प्रकाशन के लिए न दिया जाए जब तक कि वे परिषद में न दिये जा चुके हों या मेज पर न रखे जा चुके हों।

13– संकल्प

सार्वजनिक हित के विषय पर चर्चा करने पर प्रतिबन्ध

137– जब तक कि संविधान या इन नियमों में कोई अन्यथा आदेश न हो किसी भी सामान्य लोकहित के विषय पर केवल उस संकल्प द्वारा चर्चा की जायेगी जो उन नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया गया हो, जो प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने से संबंध रखते हों, पर ऐसी चर्चा सभापति और उस मंत्री की स्वीकृति से हो सकेगी जिसके विभाग से संकल्प का संबंध हो ।

संकल्पों की सूचना

138– कोई सदस्य जो कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहे वह अपने इस मन्तव्य की लिखित सूचना सचिव को कम से कम 7 दिन पूर्व देगा और सूचना के साथ उस संकल्प की प्रतिलिपि भेजेगा जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संबंधित विभाग के मंत्री की स्वीकृति से सभापति इस बात की अनुज्ञा दे सकेंगे कि संकल्प 7 दिन से कम समय की सूचना दिये जाने पर भी कार्य सूची में दर्ज कर लिया जाए :

किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई भी मंत्री

अथवा वह सदस्य जिसको उन्होंने अधिकृत कर दिया हो, किसी भी संकल्प को दो दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

संकल्पों की प्रतिलिपियां सचिव द्वारा सभापति तथा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी

139– सचिव ऐसे प्रत्येक संकल्प की प्रतिलिपि जिसकी सूचना उन्हें दी गयी हो, सभापति के समक्ष उपस्थित करेंगे और जब सभापति स्वीकार कर चुकें तो स्वीकृत संकल्प की प्रतिलिपियां सरकार को भेजेंगे ।

भाषणों की कालावधि

140– किसी संकल्प पर कोई भाषण बिना सभापति की अनुज्ञा के 15 मिनट से अधिक देर तक न दिया जायेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संकल्प का प्रस्तावक सदस्य, संकल्प प्रस्तुत करते समय और संबंधित विभाग के मंत्री उस पर पहली बार भाषण देते समय 30 मिनट तक भाषण दे सकेंगे ।

13–क– अध्यादेश पर चर्चा

अध्यादेश के निरनुमोदन का संकल्प

+141– सभा से ऐसे संदेश की प्राप्ति पर जिसमें कि अध्यादेश का निरनुमोदन किया गया हो, कोई भी सदस्य दो दिन की सूचना देने के पश्चात् वह संकल्प प्रस्तुत कर सकता है कि परिषद् अध्यादेश का निरनुमोदन करती है और यदि संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह राज्यपाल तथा विधान सभा को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

(जैसा कि विज्ञप्ति संख्या 3684–ए/विप–240–1959, दिनांक 7 मई, 1961 द्वारा संशोधित हुआ।)

13–ख– मंत्रियों के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

मंत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव

142– मंत्रिपरिषद् की नीति का निरनुमोदन करने का प्रस्ताव सभापति की अनुमति से निम्नलिखित निबन्धों के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है :–

(क) प्रस्ताव करने की अनुज्ञा प्रश्न के उपरान्त तथा दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मांगी जायेगी, और

(ख) अनुज्ञा मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक आरम्भ होने से पूर्व सचिव को उस प्रस्ताव को, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता है, एक लिखित सूचना देनी होगी,

(ग) यदि सभापति की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है, तो प्रस्ताव को परिषद् में पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों अपने स्थान पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि कम से कम 20 सदस्य इस प्रकार हो जायें तो सभापति सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा मांगने के दिन से कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन के अन्दर किसी ऐसे दिन जिसे सभापति नियत करें, लिया जायेगा । यदि 20 से कम सदस्य खड़े हों तो सभापति, सदस्य को सूचित करेंगे कि उस परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है ।

13–ग– सभापति तथा उप–सभापति का हटाया जाना

सभापति या उप–सभापति का हटाया जाना

143– सभापति अथवा उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व किसी सदस्य से प्राप्त हो गयी हो, पीठासीन सदस्य द्वारा परिषद् में पढ़कर सुनाया जायेगा। तब वह उन सदस्यों से, जो संकल्प प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, वह प्रार्थना करेगा कि वे अपने स्थानों पर खड़ें हो जायं और तद्नुसार यदि कम से कम 20 सदस्य खड़े हों, तो पीठासीन सदस्य संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे देगा । यदि 20 से कम सदस्य खड़े हों, तो पीठासीन सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य को सूचित करेगा कि उसे संकल्प प्रस्तुत करने के लिए परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है ।

13–घ– संविधान में संशोधन का अनुसमर्थन

संविधान में संशोधनों का अनुसमर्थन

144(1) किसी भी सदस्य को संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक का अनुसमर्थन करने के संबंध में संकल्प प्रस्तुत करने के लिए पूरे 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी ।

(2) ऐसे संकल्प की सूचना के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक की ऐसी प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी ।

(3) ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, परन्तु सदस्य अपने तर्को के पक्ष में सामान्यतः विधेयक के खण्डों पर चर्चा

कर सकते हैं ।

पारित संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजी जायेगी

145– प्रत्येक संकल्प की एक प्रतिलिपि, जो परिषद् द्वारा पारित किया गया हो राज्य सरकार को भेजी जायेगी ।

14– विधान निर्माण

क– परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया विधेयकों का पुरःस्थापन

विधेयकों को पुरःस्थापन के लिये पूर्व मंजूरी अथवा सिफारिश की सूचना

146– (1) कोई सदस्य जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहे, मन्तव्य की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रतिलिपि और उसके उद्देश्यों और कारणों का पूर्ण विवरण भी देगा ।

(2) यदि कोई सदस्य ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहे, जो संविधान के अन्तर्गत बिना राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी अथवा राज्यपाल की सिफारिश के, जैसी भी दशा हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तब वह उस सूचना के साथ जो इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, ऐसी मंजूरी अथवा सिफारिश की एक प्रतिलिपि संलग्न करेगा और जब तक की यह आवश्यकता पूरी न कर दी जाए, यह सूचना वैध नहीं होगी । ऐसी मंजूरी या सिफारिश अशासकीय विधेयकों के संबंध में सभापति द्वारा प्राप्त की जायेगी ।

(3) इस नियम के अन्तर्गत किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिए प्रस्ताव की सूचना की अवधि 15 दिन होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह उपनियम शासकीय विधेयकों के संबंध में लागू नहीं होगा ।

विधेयकों को वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खण्ड

+146–क–(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्गत हो उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक और अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।

(2) विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधियों में व्यय अन्तर्ग्रस्त हों वे अपेक्षाकृत मोटे

अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे ।
+(जैसा कि विज्ञप्ति संख्या– 6653–ए/विप, दिनांक 30 दिसम्बर, 1959 द्वारा संशोधित हुआ।)

विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

146–ख– जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्तापनायें अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक ज्ञापन होगा, जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप के हैं या अपवाद स्वरूप की ।

अध्यादेशों के संबंध में विवरण

146–ग–(1) जब कभी कोई अध्यादेश प्रख्यापित किया जायेगा तो उसके प्रख्यापन के बाद यथास्थिति अनुगामी सत्र अथवा उपवेशन के प्रारम्भ में अध्यादेश की प्रतिलिपि सहित ऐसा विवरण मेज पर रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिसके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था ।

(2) जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश के रूप भेद सहित स्थापित करना हो, सदन में पुर–स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिनके कारण ऐसे रूप भेद करना आवश्यक हो गया था ।

वित्तीय विधेयक से संबंधित उपबन्ध

147–(1) यदि वित्तीय उपबन्धों से संबंधित किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के प्रश्न के प्रस्ताव की सूचना मिले तो सभापति निर्देश दे सकते हैं कि यह कार्य सूची में सम्मिलित न किया जाय ।

(2) जबकि कोई ऐसा विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा हो तो कोई भी सदस्य उस प्रक्रम तथा किसी अनुवर्ती प्रक्रम पर यह आपत्ति कर सकता है कि वह एक वित्तीय विधेयक है और उस पर परिषद् में आगे विचार न किया जाय ।

(3) यदि सभापति की यह राय है कि वह वित्तीय विधेयक है, तब वे तुरन्त विधेयक पर विचार समाप्त करके यह आदेश देंगे कि उसे परिषद् की कार्यसूची से हटा दिया जाय ।

(4) यदि सभापति की उठायी गयी आपत्ति की वैधता में कोई संदेह हो तब वह इस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे और यदि अध्यक्ष तथा सभापति आपस में सहमत न हों, तो सभापति इस विषय की सूचना परिषद् में देंगे और उसकी सम्मति लेंगे कि क्या परिषद् विधेयक पर आगे विचार करना चाहती है ।

धन विधेयक

148–(1) जबकि परिषद् में कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा हो अथवा किसी अन्य प्रक्रम पर यदि यह आपत्ति उठायी जाए कि विधेयक एक धन विधेयक के रूप में है और उस पर परिषद् में आगे विचार न किया जाए तो सभापति यदि वे आपत्ति को वैध समझें, निदेश देंगे कि विधेयक से संबंधित आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय ।

(2) यदि सभापति को आपत्ति की वैधता में कोई संदेह हो तो वे इस विषय को अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर देंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

विधेयकों की प्रतिलिपि का सरकार को भेजा जाना

149(1) जब कभी परिषद् का कोई अशासकीय सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दे तो सचिव तुरन्त विधेयक और उसके उद्देश्यों व कारण के विवरण की एक–एक प्रतिलिपि उस विभाग को जिससे उसके विषय का संबंध हो और विधायिका विभाग को भेजेंगे ।

(2) उप नियम (1) के उपबन्ध जहां तक संभव हो, ऐसे सभी संशोधनों पर लागू होंगे जिनको सूचना किसी विधेयक के संबंध में परिषद् के किसी अशासकीय सदस्य द्वारा दी गयी हो ।

विधेयकों के प्रकाशन का राज्यपाल को अधिकार

150– राज्य किसी विधेयक को गजट में प्रकाशित करने की आज्ञा दे सकते हैं यद्यपि उस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया हो । ऐसी दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक तत्पश्चात् पुरः स्थापित किया जाय तो उसको पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

विधेयकों का प्रकाशन

151– विधेयकों के पुरःस्थापित किये जाने के पश्चात् यदि वह पहले ही प्रकाशित नहीं किया जा चुका है यथाशीघ्र गजट में प्रकाशित किया जायेगा ।

पुरःस्थापन की अनुज्ञा का प्रस्ताव

152– यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो सभापति विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले सदस्य और विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक विवरण की अनुज्ञा देने के पश्चात् और बिना विवाद के प्रश्न उपस्थित कर सकेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि विधेयक ऐसे विधान का निर्माण आरम्भ करता है जो राज्य विधान मण्डल के विधायनी सक्षमता के बाहर है तो सभापति उस पर चर्चा किये जाने की अनुज्ञा दे सकते हैं ।

पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

153–(1) किसी विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर या किसी अनुवर्ती अवसर पर विधेयक–भार–साधक सदस्य अपने विधेयक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी एक को प्रस्तुत कर सकेगा अर्थात् –

(क) उसे परिषद् द्वारा तत्काल ही अथवा भविष्य में किसी ऐसे दिन जिसे उसी समय बताया जायेगा विचारार्थ ले लिया जाय, अथवा

(ख) उसे ऐसी प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जिसमें परिषद् के वे सदस्य हों और जिसे ऐसे दिनांक से पूर्व प्रतिवेदन करने के लिए आदेश हो, जिन्हें वह प्रस्ताव में स्पष्ट करें, अथवा

(ग) उसे राय जानने के प्रयोजन के लिये परिचालित किया जाए :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि तब तक कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध न कर दी गई हो और कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव लिए जाने पर आपत्ति कर सकता है जब तक कि प्रस्ताव की सूचना दो दिन पूर्व न दे दी गई हो ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब

तक कि सभापति प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें ।

(2) कोई प्रस्ताव, जिसके द्वारा यह सिफारिश की गई हो कि विधेयक को विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय किसी ऐसे प्रक्रम पर किया जा सकेगा जिस पर कि कोई प्रस्ताव, विधेयक की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है ।

सदस्य का विधेयक से सम्बन्धित प्रपत्रों को मांगने का अधिकार

154– किसी विधेयक के पुरःस्थापित के पश्चात और उसके पारित होने के पूर्व किसी भी प्रक्रम पर कोई सदस्य विधेयक से सम्बद्ध कोई पत्र अथवा विवरण पत्र मांग सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे विधेयक से सम्बन्धित परिषद् की कार्यवाही, मांगे गये पत्र अथवा विवरण–पत्र के प्राप्त होने तक, निलम्बित नहीं की जाएगी, जब तक कि सभापति इस संबंध में अन्यथा आदेश न दें या परिषद् अपना मत इस आशय का न दे ।

व्यक्ति जो विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेंगे

155– विधेयक भार साधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाय अथवा उसे पारित किया जाय, अगर विधेयक भार साधक सदस्य को छोड़कर, कोई सदस्य, विधेयक भार–साधक–सदस्य द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में अतिरिक्त यह प्रस्ताव नहीं कर सकेगा कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या इस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय या पुनःपरिचालित किया जाय ।

विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा

156– (1) उस दिन जबकि ऐसा प्रस्ताव किया जाय या किसी अनुवर्ती दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाय, विधेयक के सिद्धान्तों और सामान्य उपबन्धों पर विचार किया जा सकेगा किन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो ।

(2) इस प्रक्रम पर विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकेंगे, परन्तु यदि विधेयक भार–साधक सदस्य यह प्रस्ताव करें कि विधेयक –

(क) विचारार्थ लिया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा कि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति का निर्दिष्ट कर दिया जाय या उस पर राय प्राप्त करने के लिये उस तिथि तक जो प्रस्ताव में दी गयी हो, परिचालित किया जाय, अथवा –

(ख) प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक की राय प्राप्त करने के लिये परिचालित किया जाय ।

(3) जब परिषद् में यह प्रस्ताव पारित हो गया हो कि विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाय और विधेयक निदेशानुसार परिचालित किया जा चुका हो और प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि से पूर्व उस पर राय प्राप्त हो गई हो तो विधेयक भार–साधक–सदस्य, यदि वह अपने विधेयक पर इसके आगे कार्यवाही करना चाहता हो, प्रस्ताव करेगा कि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जब तक कि सभापति यह प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें कि विधेयक को विचारार्थ ले लिया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उस नियम के अन्तर्गत कोई संशोधन अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त किये जाने का कोई प्रस्ताव किया गया हो तो कोई भी सदस्य यह प्रस्ताव करेगा कि परिषद् उस प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को जिसे विधेयक में निर्दिष्ट किया गया हो, विधेयक में कोई विशिष्ट अथवा अतिरिक्त उपबंध करने का आदेश देती है और यदि आवश्यक या सुविधाजनक हो तो यह भी आदेश दे सकती है कि विधेयक द्वारा संशोधित किये जाने वाले मूल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करें और अपना प्रतिवेदन दें ।

प्रवर समितियां

प्रवर समितियों के सदस्य

157– उस विभाग के मंत्री जिससे उस विधेयक का संबंध हो और वह सदस्य जिसने उस विधेयक को पुरःस्थापित किया हो, प्रवर समिति के पदेन सदस्य होंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि मंत्री परिषद् के सदस्य नहीं हैं तो उनको समिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

किन्तु यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि कोई मंत्री जो परिषद् के सदस्य नल हों और समिति के सभापति हों, तो वे बराबर मत हो जाने पर पर्ची डालकर क्तूंपदह व ि स्वजे प्रश्नों का निर्णय करेंगे ।

प्रवर समितियों की रचना

158– प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किये जाने वाले अन्य सदस्यों की संख्या निम्नलिखित होगी –

(क) उस दशा में जबकि विधेयक संबंधित विभाग के मंत्री के अतिरिक्त किसी दूसरे सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया गया हो, सदस्यों की संख्या 9 होगी, और

(ख) दूसरी दशाओं में सदस्यों की संख्या 10 होगी ।

प्रवर समितियों के सदस्यों की नियुक्ति

159– किसी विधेयक के लिये निर्मित प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति परिषद् द्वारा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के प्रस्ताव पारित होने पर की जायेगी ।

अन्य सदस्यों की उपस्थिति

160– वे सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं हैं समिति द्वारा विचार विमर्श किये जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं, परन्तु न तो वे समिति को सम्बोधित करेंगे और न उसके मध्य बैठेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी मंत्री समिति के सभापति की अनुज्ञा से समिति को, जिसके वे सदस्य न हों सम्बोधित कर सकते हैं ।

प्रवर समिति को संशोधनों की सूचना

161–(1) यदि प्रस्ताव संशोधन की सूचना उस दिन से पूर्व जिस दिन कि प्रवर समिति द्वारा विधेयक विचारार्थ लिया जाना है, न की गयी हो तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि समिति के सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें ।

(2) दूसरी दशाओं में प्रवर समिति की प्रकिया ऐसी व्यवस्थाओं के साथ चाहे परिष्कर, परिवर्तन अथवा लोपन की रीति से जैसा भी समिति के

सभापति आवश्य या सुविधाजनक समझें, यथाशक्य वही रहेगी जो परिषद् में किसी विधेयक पर विचार होने के प्रक्रम पर अनुसरण की जाती है ।

अन्य सदस्यों द्वारा संशोधनों की सूचना

162– जब कोई विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करदिया गया हो तो किसी सदस्य द्वारा विधेयक में संशोधन करने के लिये दी गयी सूचना समिति को निर्दिष्ट की हुई समझी जायेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि संशोधन की रचना ऐसे सदस्य द्वारा की गयी हो जो समिति का सदस्य नहीं है, तो ऐसा संशोधन समिति द्वारा विचारणीय नहीं होगा जब तक कि वह समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित न किया जाय ।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन

163– (1) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बतायेगी कि विधेयक में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनके कारण उसके पुनः प्रकाशन की आवश्यकता है या नहीं और उस तिथि का भी उल्लेख करेगी, जबकि विधेयक गजट प्रकाशित हुआ था ।

(2) जब कोई विधेयक परिवर्तित कर दिया गया हो तो प्रवर समिति यदि उचित समझें, तो अपने प्रतिवेदन में विधेयक भार–साधक–सदस्य से इस बात के लिए सिफारिश कर सकती है कि उसका आगामी प्रस्ताव विधेयक को परिचालित करने के बारे में हो और यदि विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो तो पुनः परिचालित किये जाने के बारे में हो ।

समिति से संबंधित नियम प्रवर समितियों पर लागू होंगे

164– अन्य दशाओं में परिषद् की समितियों से संबंधित नियम प्रवर समितियों पर लागू होंगे ।

प्रवर समिति द्वारा अन्य प्रतिवेदन पर लागू होंगे

165– परिषद् द्वारा विधेयक पर विचार करने का निर्णय किये जाने के पूर्व किसी समय प्रवर समिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी ।

प्रतिवेदन का मुद्रण एवं प्रकाशन

166– प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सचिव आदि ने प्रवर समिति से उसे पुनः प्रकाशन की सिफारिश की हो, तुरन्त संशोधन विधेयक सहित उसे गजट में प्रकाशित करायेंगे और मुद्रित प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रक्रिया

167– (1) किसी विधेयक पर प्रवर समिति का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, विधेयक भार–साधक–सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा –

(क) कि विधेयक को, जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है विचारार्थ लिया जाय परन्तु कोई भी सदस्य उसके इस प्रकार विचारार्थ लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये 3 दिन तक उपलब्ध न रही हो और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक सभापति प्रतिवेदन को विचारार्थ लेने की अनुज्ञा न दे, अथवा

(ख) कि विधेयक को –

(अ) पूर्णतया, अथवा

(ब) केवल विशेष खण्डों या संशोधनों के संबंध में, अथवा

(स) प्रवर समिति को, विधेयक में कोई विशेष या अतिरिक्त उपबन्ध सम्मिलित करने के अनुदेशों के साथ पुनः निर्दिष्ट कर दिया जाय, अथवा

(ग) कि विधेयक जैसा कि प्रवर समिति ने प्रतिवेदित किया है, राय जानने के लिये परिचालित किया जाय अथवा पुनः परिचालित किया जाय ।

(2) यदि विधेयक भार–साधक–सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक को फिर से प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय या उस पर राय प्राप्त करने के लिये उसे परिचालित किया जाय या पुनः परिचालित किया जाय ।

(3) यदि इस नियम के अन्तर्गत कोई विधेयक फिर से प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला हो तो उसे फिर से उसी प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि परिषद्, इसके विपरीत निर्णय न करे और उस दशा में नियम 156 लागू होगा ।

पुनः प्रकाशन का प्रस्ताव

168– कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि कोई विधेयक जिसे प्रवर समिति ने संशोधित किया हो पुनः प्रकाशित किया जाय और यदि परिषद् ऐसा निर्णय करे, तो सभापति उसके पुनः प्रकाशन के लिये निदेश देंगे ।

संयुक्त प्रवर समिति

संयुक्त प्रवर समिति

169–(1) यदि कोई प्रस्ताव किसी विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने केलिये स्वीकृत हो जाय तो सचिव इस प्रार्थना के साथ सभा को संदेश भेजेगा कि सभा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करे और यदि उनकी सहमति हो तो संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये अपेक्षित संख्या में अपने सदस्यों का नाम–निर्देशन कर दे ।

(2) यदि परिषद् में इस तात्पर्य का कोई संदेश प्राप्त हो कि सभा उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को विनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभा से असहमति का सन्देश प्राप्त होने पर कोई भी सदस्य बिना सूचना दिये यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक परिषद् की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और सभापति बिना और वाद–विवाद के उस प्रश्न को उपस्थित करेंगे ।

परिषद् द्वारा सदस्यों का निर्वाचन

170– जब तक कि दोनों सदन आपस में समझौता करके इसके विपरीत निर्णय न करें, परिषद् संयुक्त प्रवर समिति के कुल सदस्यों के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों को अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुनेगा और सदस्य विधेयक भार–साधक–सदस्य तथा उस विभाग के मंत्री के अलावा होंगे जिससे कि विधेयक संबंध रखता है । यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

समितियों से संबंधित नियम संयुक्त प्रवर समिति पर लागू होंगे

171– जब तक कि दोनों सदन आपस में समझौता करके इसके विपरीत निर्णय न करें, प्रवर समिति से संबंधित परिषद् के नियम आवश्यक परिष्कारों सहित, उन प्रवर समितियों पर भी लागू होंगे जो परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयकों के संबंध में निर्मित की जायें ।

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् प्रस्ताव

172– किसी विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् विधेयक भार–साधक–सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचार

किया जाये ।

संयुक्त प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों पर विवाद

173– इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाय, वाद–विवाद समिति के प्रतिवेदन के विचार एवं प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों पर अथवा विधेयक के सिद्धान्तों से सुसंगत किन्हीं वैकल्पिक सुझावों तक सीमित रहेगा ।

विधेयकों पर विचार, उनमें संशोधन और उनका पारण

संशोधन के प्रस्ताव

174– जब परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय, तो कोई सदस्य ऐसे विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर सकता है ।

किसी कर को समाप्त अथवा कम करने वाली सिफारिश अथवा पूर्व मंजूरी अनावश्यक

175– नियम 146– के उपबन्ध उन सभी संशोधनों पर लागू होंगे, जिनकी सूचना किसी विधेयक के संबंध में दी जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे संशोधन के संबंध में पूर्व स्वीकृति अथवा सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी, जो

(क) किसी विधेयक अथवा संशोधन में प्रस्तावित कर की समाप्ति करने अथवा उसकी सीमा कम करने के लिय हो ।

(ख) ऐसे कर में किसी वर्तमान कर की सीमा तक कर वृद्धि करने के लिये हो ।

संशोधन की ग्राह्यता की शर्तें

176– किसी विधेयक के खण्डों अथवा अनुसूचियों में संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :–

(1) प्रत्येक संशोधन विधेयक के विषय के क्षेत्र के अन्तर्गत और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से सुसंगत होगा ।

(2) संशोधन परिषद् के उसी प्रश्न पर पूर्व निर्णय से असंगत नहीं होगा ।

(3) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड जिसे संशोधित करने की उसमें प्रस्थापना हो दुर्बोध तथा व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाय ।

(4) यदि किसी संशोधन में किसी अनुवर्ती संशोधन या अनुसूची की ओर निदेश किया जाय अथवा उसके बिना यह बोधगम्य न हो तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के

संशोधन अथवा अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिससे कि संशोधन–माला पूर्ण रूप से बोधगम्य हो जाय ।

(5) संशोधन प्रस्तावित करने का काम सभापति द्वारा निर्धारित किया जायगा ।

(6) सभापति ऐसे संशोधन को अनुज्ञा देने से इनकार कर सकेंगे जो उनके राय में तुच्छ अथवा अर्थहीन हों ।

(7) जो संशोधन पहले प्रस्तावित किया जा चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

संशोधन की सूचना

177– यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक का सुसंगत खण्ड या अनुसूची पर विचार किया जाना हो तो, कोई सदस्य संशोधन को प्रस्तावित किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि सभापति संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें ।

संशोधनों का क्रम

178– संशोधनों पर विधेयक के खण्डों के क्रम के अनुसार, जिनसे क्रमशः उनका सम्बन्ध हो साधारणतः विचार किया जाय और किसी ऐसे खण्ड के संबंध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा कि यह खण्ड विधेयक का भाग बना रहे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति को उन संशोधनों के चुनने का अधिकार होगा जो कि किसी विधेयक के संबंध में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

संशोधनों की सूची

179– (1) ऐसे संशोधनों के व्यवस्थित करने में, जिनके द्वारा किसी खण्ड के एक ही स्थान पर एक सा ही प्रश्न उठाया गया हो, प्राथमिकता उस संशोधन को दी जा सकेगी, जो विधेयक भार–साधक–सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उपर्युक्त प्रतिबन्ध के साथ संशोधन उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में उसकी सूचना प्राप्त हुई हो ।

(2) सभापति एक से अधिक संशोधनों को एक साथ प्रस्तावित किये जाने एवं विचारार्थ लिये जाने का आदेश दे सकेंगे ।

विधेयक खण्ड प्रतिखण्ड उपस्थित किया जाना

180— जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, वह सभापति के स्वविवेक में होगा कि वे विधेयक या विधेयक के किसी भाग को, खण्ड परिषद् के समक्ष रखे । जब इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय, तो सभापति प्रत्येक खण्ड को पृथक–पृथक लेंगे और जब उसमें सम्बद्ध संशोधन का निस्तारण हो जाय तब यह प्रश्न उपस्थित करेंगे कि ''यह खण्ड, या यथास्थित, यह संशोधन खण्ड विधेयक का भाग बना रहे ।''

खण्ड का स्थगन

181— सभापति, यदि वे उचित समझें तो किसी खण्ड पर विचार स्थगित कर सकेंगे ।

अनुसूची

182— अनुसूची या अनुसूचियों पर यदि कोई हो, खण्डों पर विचार होने के पश्चात् विचार किया जायेगा । अनुसूचियां सभापति द्वारा उपस्थित की जायेंगी और उन्हें खण्डों की भांति संशोधित किया जा सकेगा और मूल अनुसूचियों पर विचार हो जाने के पश्चात् नई अनुसूचियों पर विचार किया जायेगा, तब यह प्रश्न रखा जायेगा —

''यह अनुसूची या यथास्थिति यह संशोधित अनुसूची विधेयक का भाग बनी रहे ।''

किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावाना

183— किसी विधेयक का प्रथम खण्ड और प्रस्तावना तब तक स्थगित रहेंगे जब तक अनुखण्डों और अनुसूचियों का निस्तारण न हो जाय और तदुपरान्त सभापति यह प्रश्न उपस्थित करेंगे, ''प्रथम खण्ड और प्रस्तावना या यथास्थिति संशोधित प्रथम खण्ड या प्रस्तावना विधेयक का भाग बने रहे । ''

विधेयक में संशोधन की सूचना प्राप्त होने पर उसके पारित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

184— जब किसी विधेयक में किसी संशोधन की सूचना प्राप्त न हुई हो तो वह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कि विधेयक पर विचार किया जाय तुरन्त ही यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि विधेयक पारित किया जाय ।

विधेयकों का पारित किया जाना

185— (1) जब परिषद् द्वारा किसी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के समय कोई संशोधन प्रस्तुत न किया गया हो तो विधेयक तुरन्त पारित किया

जा सकेगा ।

(2) यदि कोई संशोधन किये जाये तो कोई भी सदस्य उसी बैठक में विधेयक के पारित किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि सभापति विधेयक को पारित किये जाने की अनुज्ञा न दे दें ।

(3) जब उपर्युक्त आपत्ति मान ली गयी हो तो ऐसा प्रस्ताव कि विधेयक को पारित किया जाय, भविष्य में किसी बैठक में लाया जा सकेगा ।

(4) इस प्रस्ताव में कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जो या तो औपचारिक न हो या किसी ऐसे संशोधन का आनुषंगिक न हो जो विधेयक पर विचार प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् किया गया है ।

विधेयक के पारित किये जाने के प्रस्ताव पर की गयी चर्चा

186– इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाय, चर्चा केवल ऐसे तर्कों को प्रस्तुत करने तक सीमित रहेगी जो या तो विधेयक का समर्थन करते हों अथवा उसका विरोध । भाषण करते समय कोई सदस्य विधेयक के विवरण का उतने से अधिक उल्लेख नहीं करेगा जितना कि उसके तर्को के लिए, जो कि सामान्य ढंग से होंगे, आवश्यक है ।

पारित किये गये विधेयक सभापति को भेजा जाना

187– जब विधेयक परिषद् द्वारा पारित कर दिया जाय तो उसकी एक प्रतिलिपि सभापति हस्ताक्षर करेंगे और तत्पश्चात् उसका सभा की सहमति के लिये भेजा जायगा ।

विधेयक का प्रमाणीकरण

188– (1) जब कोई विधेयक परिषद् द्वारा पारित हो जाय तो यदि आवश्यक हो, सचिव सभापति की पूर्व स्वीकृति से तथा विधेयक से सभा को भेजे जाने से पूर्व खण्डों पर पुनः अंक डालेंगे उसके उपरान्त की टिप्पणियों का पुनरीक्षण तथा पूर्ति करेंगे उसमें केवल ऐसे औपचारिक या आनुषंगिक संशोधन करेंगे जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों को ठीक करेंगे जो उनकी असावधानी के कारण रह गयी प्रतीत होती हों ।

(2) सचिव, विधेयक की एक प्रतिलिपि सभापति को प्रस्तुत करेंगे जिस पर वे हस्ताक्षर करेंगे । इस प्रकार किये गये परिवर्तनों की एक प्रतिलिपि सदस्यों में परिचलित की जायेगी और शीघ्र सदन की मेज पर रखी जायेगी ।

संशोधित विधेयक की परिषद् में वापसी

189– जब कोई ऐसा विधेयक जो परिषद् में प्रारम्भ हुआ हो और सभा में संशोधित हुआ हो परिषद् को वापस किया जाय तो इस प्रकार संशोधित किये विधेयक की प्रतिलिपियां परिषद् की ठीक आगामी बैठक या उसके बाद शीघ्र सदन की मेज पर रखी जायेंगी ।

संशोधन पर विचार किये जाने के लिये समय का निर्धारण

190– जब कोई संशोधित विधेयक सदन की मेज पर रख दिया गया हो तो किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य दशा में कोई सदस्य 3 दिन की सूचना देने के पश्चात् या सभापति की स्वीकृति से इससे कम समय की सूचना देकर, यह प्रस्ताव कर सकेगा कि संशोधनों पर विचार किया जाय ।

संशोधनों पर विचार किये जाने की प्रक्रिया

191–(1) जब कोई ऐसा प्रस्ताव कि संशोधनों पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो सभापति संशोधनों को परिषद् के समक्ष इस रीति से रखेंगे जो उनकी राय में उन पर विचार करने के लिये सबसे सुविधाजनक हो ।

(2) सभा द्वारा किये गये संशोधनों के विषय में सुसंगत अतिरिक्त संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं, लेकिन विधेयक में कोई अतिरिक्त संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक वह सभा द्वारा किये गये संशोधनों का आनुषंगिक या वैकल्पिक संशोधन न हो ।

(3) यदि सभा द्वारा किये गये संशोधनों से परिषद् सहमत न हो अथवा उन संशोधनों या उनमें से किसी संशोधन को अतिरिक्त संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के स्वीकार कर ले तो वह विधेयक या वह विधेयक फिर से संशोधित किये गये रूप में जैसी स्थिति हो इस आशय के एक संदेश के साथ सभा को भेज दिया जायगा ।

(4) यदि सभा उस विधेयक को फिर से इस संदेश के साथ वापस कर दे कि उन संशोधनों को अब भी ठीक समझती है जिनको परिषद् स्वीकार नहीं कर सकी तो परिषद् या तो –

(क) विधेयक को उस रूप में स्वीकार करेगी जैसा कि उसे सभा में पारित किया है, या

(ख) यदि वह इसे स्वीकार नहीं करती तो अपनी इस असहमति की सूचना सभा को भेजेगी

और इस विधेयक को राज्यपाल की अनुमति के लिये उसी रूप में प्रस्तुत करेगी जिसमें वह अंतिम बार सभा द्वारा पारित किया गया था ।

विधेयकों पर अनुमति तथा विधेयक का अधिनियम के रूप में प्रकाशन

192– जब किसी विधेयक जो पहले परिषद् में प्रारम्भ हुआ जो राज्य के विधान मण्डल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया हो तो परिषद् को वापस कर दिया जायेगा और उस पर सभापति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उसे अनुमति के लिये राज्यपाल के पास भेज दिया जायेगा और यदि उसकी अनुमति प्राप्त हो जाय तो उसे उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के ऐसे अधिनियम के रूप में गजट में प्रकाशित किया जायेगा जिसे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित किया गया हो और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अनुमति दे दी है, तो उसे वह उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के ऐसे अधिनियम के रूप में गजट में प्रकाशित किया जायगा जिस पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है ।

राज्यपाल द्वारा वापस किये गये विधेयकों पर पुनः विचार

193– जब कोई विधेयक जो पारित हो चुका हो, राज्यपाल द्वारा परिषद् को पुनः विचारार्थ वापस किया जाय तो ऐसा विषय या ऐसे विषय जो पुनः विचारार्थ निर्दिष्ट किये गये हों अथवा जिन संशोधनों की सिफारिश की गयी हो, वे सभापति द्वारा परिषद् के समक्ष रखे जायेंगे और उन पर जिस प्रकार विधेयक के संशोधन लिये जाते हैं उसी प्रकार या किसी ऐसे दूसरे प्रकार से जैसा कि सभापति परिषद् द्वारा उन पर विचार के लिये सुविधाजनक समझे चर्चा की जायेगी तथा उन पर मत लिये जायेंगे ।

विधेयकों का वापस लिया जाना

194– विधेयक भार–साधक–सदस्य, विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव कर सकेगा और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो उस विधेयक के सम्बन्ध में अन्य कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

समाप्त विधेयक

195–(क) कोई विधेयक जिसके संबंध में 2 वर्ष तक परिषद् में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत न हुआ हो, सभापति के आदेश से कार्य सूची से हटा दिया जायेगा ।

(ख) सभा द्वारा आरम्भ किये गये व परिषद् को पहुंचाये गये विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया ।

संयुक्त प्रवर समिति के निदेशन के प्रस्ताव

196– (1) सचिव सभा से प्राप्त हुये संदेश और वहां पुरःस्थापित किये गये विधेयक की एक–एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य को भेजेगा, जिसमें परिषद् की सहमति इस प्रस्ताव पर जिसे सभा ने स्वीकार किया हो मांगी जाय कि विधेयक दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ।

(2) सभा से ऐसे सदेश के प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री असरकारी विधेयक की दशा में कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकार किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा के प्रयोजनार्थ विधेयक जैसा कि वह सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है, परिषद् की मेज पर रखा हुआ समझा जायगा ।

(3) यदि परिषद् सहमत हो तो उप नियम (2) में उल्लिखित प्रस्तावक संयुक्त प्रवर समिति में काम करने के लिये परिषद् के सदस्यों के नाम निर्देशन के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा । यदि आवश्यक हो तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये अपेक्षित संख्या में परिषद् के प्रतिनिधियों का निर्वाचन एकल–संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जायगा । तदन्तर सभा को यह सन्देश भेजा जायगा कि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर परिषद् ने सहमति दे दी तथा उस सन्देश में उन सदस्यों के नाम भी दे दिये जायेंगे जिन्हें परिषद् ने संयुक्त प्रवर समिति के लिये निर्वाचित किया हो ।

(4) यदि परिषद् सभा द्वारा पारित प्रस्ताव से सहमति न हो तो सभा को यह सन्देश भेज दिया जायगा कि वह उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती ।

सभा द्वारा पारित विधेयक

197– जब कोई विधेयक जिसे सभा ने पारित किया हो परिषद् में आये तो विधेयक परिषद् की नई आगामी बैठक में अथवा उनके पश्चात् यथाशीघ्र मेज पर रख दिया जायगा ।

सूचना

198– विधेयक के मेज पर रखे जाने के पश्चात् किसी भी समय सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री अथवा किसी अन्य दशा में कोई सदस्य जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दे, दो दिन की

सूचना देकर यह प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक पर विचार किया जाय :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि विधेयक की प्रतिलिपियां जैसा कि वह सभा द्वारा पारित किया गया है, विधेयक के परिषद् की मेज पर रखे जाने के दिनांक से 8 दिन पूर्व सदस्यों को भेजी जा चुकी हो तो उस पर विचार किये जाने का कोई प्रस्ताव उस दिनांक से जबकि विधेयक मेज पर रखा गया हो एक दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात् किसी भी समय किया जा सकेगा जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें ।

चर्चा

199– उस दिन जब ऐसा प्रस्ताव किया जाय या किसी ऐसे अनुवर्ती दिन जिसके लिये बहस स्थगित की जाय, विधेयक सिद्धान्तों और उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा की जा सकेगी परन्तु विधेयक के ब्योरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं की जायगी जो उसके सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हों ।

प्रवर समिति को निर्देशन

200– कोई सदस्य, यदि विधेयक सभा में पुरःस्थापित हुआ हो और दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट न किया जा चुका हो, किन्तु अन्यथा नहीं, एक संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जायगा और तब वे नियम लागू होंगे जो परिषद् में आरम्भ होने वाले विधेयक पर बनी प्रवर समितियों के संबंध में है ।

विचार एवं पारण

201– यदि कोई ऐसा प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत हो जाय तो परिषद् द्वारा विधेयक पर आगे विचार करते समय वे नियम लागू होंगे जो विधेयक के संबंध में ।

बिना संशोधनों के पारित विधेयक

202– यदि विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित हो जाय तो विधेयक इस सन्देश के साथ सभा को भेजा जायगा कि परिषद् ने विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है ।

संशोधनों के साथ पारित विधेयक

203– (1) यदि ऐसा विधेयक संशोधन सहित पारित हो जाय तो वह इस संदेश के साथ लौटाया जायगा कि सभा उन संशोधनों को स्वीकार कर लें

।

(2) यदि विधेयक इस संदेश के साथ वापस आ जाय कि सभा उन संशोधनों को स्वीकार नहीं करती जो परिषद् ने किये हैं । उन संशोधनों के कुछ अतिरिक्त संशोधनों के साथ विचार करती है तो सभापति के प्रस्ताव पर परिषद् उन पर विचार करेगी और सभापति उन्हें ऐसे उपस्थित करेंगे जो उन पर विचार करने के लिए सुविधाजनक हो ।

(3) यदि परिषद् अपने संशोधनों पर आग्रह करती है या सभा द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो इस आशय का एक संदेश सभा को भेज दिया जायेगा ।

धन विधेयक

204 –(1) जिस दिनांक को कोई धन विधेयक परिषद् से प्राप्त होगा उसकी सूचना सभा को दी जायगी ।

(2) किसी धन विधेयक के परिषद् की मेज पर रखे जाने के पश्चात् किसी भी समय, दो दिन की सूचना देने के उपरान्त जब तक सभापति प्रस्ताव कम समय में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दें, कोई मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पर विचार किया जाय ।

(3) धन विधेयक पर सिफारिशें प्रस्तावित करने एवं उनको पारित करने में आवश्यक परिवर्तन के साथ परिषद् के वे नियम लागू होंगे जो संशोधनों को प्रस्तुत करने एवं विधेयकों को पारित करने के संबंध में है ।

15– संयुक्त सम्मेलन

दोनों सदनों का संयुक्त सम्मेलन

205– कोई सदस्य सभापति की अनुमति से यह प्रस्ताव कर सकेगा कि यह युक्ति संगत है कि विधेयक के अतिरिक्त कोई भी लोक महत्व के विषय में दोनों सदनों के एक ऐसे संयुक्त सम्मेलन को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें सदस्यों की एक विशिष्ट संख्या होगी और जिसके लिये ऐसे दिनांक से पूर्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेश होंगे जो प्रस्ताव में उल्लिखित किया गया हो ।

सभा को संदेश का पहुंचाया जाना

206– यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो सभा को एक संदेश भेजा जायगा जिसमें समय से उस

प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने के लिए कहा जायेगा ।

सदस्यों का नाम–निर्देशन

207– यदि सभा उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती है तो भार–साधक–सदस्य प्रस्ताव करेगा और उसमें परिषद् के उन सदस्यों को नाम–निर्देशन करेगा जो सम्मेलन में कार्य करेंगे ।

सदस्यों की संख्या

208– संबंधित विभाग के भार–साधक मंत्री, प्रत्येक संयुक्त सम्मेलन के पदेन सदस्य होंगे और उनके अतिरिक्त संयुक्त सम्मेलन से, प्रत्येक सदन के बराबर–बराबर सदस्य नाम–निर्देशित किये जायेंगे ।

प्रक्रिया

209– (1) यदि सभा से एक ऐसा संदेश मिले जिसमें परिषद् के किसी संयुक्त सम्मेलन के लिए सहमति देने के लिए कहा गया हो तो सचिव उस संदेश की एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के पास भेज देंगे ।

(2) सभा से इस प्रकार का संदेश प्राप्त हो जाने पर किसी समय, मंत्री अथवा कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि सभा के संदेश पर परिषद् अपनी सहमति देती है ।

(3) यदि परिषद् सहमति दे दे तो मंत्री या कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि परिष्द आवश्यक संख्या में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के लिये कार्यवाही करे । यदि आवश्यक हो तो एकल–संक्रमणीय मत प्रणाली से निर्वाचन किया जाय । इसके उपरान्त सभा को एक संदेश भेजा जायेगा जिसमें सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव परिषद् की सहमति दे देने की सूचना दी जायगी और उन सदस्यों के नाम भी दिये जायेंगे जो परिषद् द्वारा संयुक्त सम्मेलन के लिए निर्वाचित किये गये हों ।

(4) यदि सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को परिषद् स्वीकार न करें तो सभा को एक संदेश जायेगा जिसमें परिषद् द्वारा उस प्रस्ताव को अस्वीकार किये जाने की सूचना दी जायगी ।

16– वित्तीय विवरणों पर चर्चा

आय–व्ययक

210– राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिससे

इसके पश्चात् आय–व्ययक हो गया है अथवा अनुदान के लिये अनुपूरक या अतिरिक्त मांगों का एक विवरण, ऐसे दिन, जिसे राज्यपाल नियत करें और ऐसे रूप से, जिसे वित्त मंत्री उस पर परिषद् द्वारा विचार करने के लिये उपयुक्त समझे, परिषद् के समक्ष रख जायगा ।

सामान्य चर्चा

211–(1) जिस दिन आय–व्ययक अथवा अनुदानों के लिये अनुपूरक अतिरिक्त या अतिरिक्त मांगों का विवरण प्रस्तुत किया जाय उसके उपरान्त सदन के नेता से परामर्श करके, सभापति द्वारा नियत किसी दिन या दिनों में तथा इतने समय के लिये जो सभापति सदन के नेता से परामर्श करके इस अभिप्राय के लिये नियत कर परिषद् को स्वतंत्रता होगी कि वह समस्त आय–व्ययक अथवा अनुदानों के लिये अनुपूरक अथवा अतिरिक्त मांगों के विवरण पर या उसमें अन्तर्ग्रस्त सिद्धान्तों के किसी प्रश्न पर चर्चा करें, किन्तु इस संबंध में न कोई प्रस्ताव ही प्रस्तुत किया जायगा और न आय–व्ययक परिषद् में मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिस दिन परिषद् में आय–व्ययक प्रस्तुत किया जाए उसके पश्चात् कम से कम पूरे तीन दिन तक आय–व्ययक पर चर्चा नहीं की जायगी ।

(2) वित्त मंत्री को चर्चा के अन्त में उत्तर देने का सामान्य अधिकार होगा ।

(3) सभापति यदि उचित समझें तो चर्चा के किसी भी प्रक्रम पर, भाषणों के लिये समय–सीमा निश्चित कर सकते हैं ।

किसी वित्तीय कार्य के लिये निर्धारित दिवसों पर लिये जाने वाले अन्य कार्य

212– आय–व्ययक अथवा नियम–211 के अन्तर्गत किसी विवरण पर चर्चा के लिये कोई दिन नियत होते हुए भी किसी विधेयक अथवा विधेयकों को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के लिये अथवा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं और ऐसे दिन, परिषद् के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व जिसके लिये वह दिन नियत किया गया हो, कोई एक अथवा अधिक विधेयक पुरःस्थापित किये जा सकते हैं ।

याचिकाओं का रूप और विषय

213– परिषद् को जो याचिकायें प्रस्तुत की जायें :–

(क) वे किसी विषय के संबंध में होगी,

(1) जो यथार्थ में परिषद् के विचाराधीन हों, अथवा

(2) जो राज्य विधान मण्डल के व्याप्ति के अन्दर निश्चित सार्वजनिक महत्व का हो ।

(ख) वे परिषद् को सम्बोधित की जायेगी,

(ग) वे याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट लिखी जायेंगी और उन पर हस्ताक्षर होंगे।

(घ) वे शिष्ट और नम्र भाषा में लिखी जानी चाहिये ।

(ड.) उनके द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जयगा जो राष्ट्रीय धन के व्यय अथवा राज्य की संचित निधि पर कोई भार आरोपित करने के संबंध में रखा हो ।

याचिकाओं का सचिव को दिया जाना

214– परिषद् को संबोधित की गयी याचिका परिषद् के किसी सदस्य द्वारा सचिव को दी जायगी ।

याचिकाओं के प्रस्तुत किये जाने के लिए तिथि का नियत किया जाना

215– यदि याचिका नियम 213 के अन्तर्गत दी गई हो तो उसे प्रस्तुत करने के लिए एक तिथि नियत की जायेगी । इस प्रकार नियत की गई तिथि को सदस्य उसे नियमित रूप से परिषद् में प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने में वह उन पक्षों, जिन्होंने वह याचिका प्रस्तुत की है, उसमें किये गये हस्ताक्षरों, उसमें लगाये गये मुख्य आरोपों का विवरण देने और याचिका में की गई प्रार्थना तक अपने भाषण को सीमित रखेगा ।

याचिकाओं पर चर्चा करने की अनुमति नहीं होगी

216– यदि सभापति ऐसा आदेश दें तो सचिव परिषद् में याचिका को पढ़कर सुनायेंगे अथवा सारांश तैयार करेंगे और उसे परिषद् को पढ़कर सुनायेंगे । सभापति ऐसी याचना पर अथवा उसके

संबंध में कोई वाद–विवाद करने अथवा किसी सदस्य को उस पर भाषण करने की अनुज्ञा नहीं देंगे ।

किसी याचिका का याचिका समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति का अधिकार

217– सभापति अपने स्वविवेक से अथवा इस संबंध में परिषद् के मतानुसार किसी याचिका को याचिका समिति को ऐसे निर्देश के साथ निर्दिष्ट कर सकते हैं कि वह एक निश्चित समय के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें ।

प्रतिवेदन पर चर्चा

218– परिषद् में याचिका समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उस पर सभापति की अनुमति के बिना कोई चर्चा नहीं की जायगी ।

18– नियमों का संशोधन

सूचना

219– जब तक कि सभापति अन्यथा निर्देश न दें, नियमों में संशोधन करने की अनुज्ञा मांगने के प्रस्ताव के लिये कम से कम 10 दिन की सूचना देना आवश्यक होगा और सूचना के साथ प्रस्तावित संशोधनों का एक प्रारूप भी दिया जायगा ।

परिषद् की अनुमति

220– प्रस्ताव ऐसे दिन के लिये रखा जायगा जैसा कि सभापति निदेश दें, जब प्रस्ताव पर विचार करने की बारी आ जाय तो सभापति संशोधनों के प्रारूप को पढ़कर सुनायेंगे और पूछेंगे कि सदस्य को परिषद् की अनुज्ञा प्राप्त है अथवा नहीं । यदि आपत्ति की जाय तो सभापति यदि उचित समझें प्रस्ताव करने वाले सदस्य तथा आपत्ति करने वाले सदस्य को स्पष्टीकरण के निमित्त संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा देने के पश्चात् सदस्यों से जो उसका समर्थन करते हों, प्रार्थना करेंगे कि अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जायें और तद्नुसार यदि कम से कम 10 सदस्य खड़ें हो जायं तो सभापति सूचित करेंगे कि सदस्य को परिषद् की अनुमति प्राप्त है । यदि 10 से कम सदस्य खड़ें हो, तो सभापति उस सदस्य को सूचित करेंगे उसे परिषद् की अनुमति प्राप्त नहीं है ।

संशोधनों के आलेख्य का नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जाना

221– जब सदस्य को आगे की कार्यवाही करने के लिये परिषद् की अनुमति प्राप्त हो जाय तो संशोधन का प्रारूप परिषद् के नियम पुनरीक्षण समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया

+222–(क) समिति की सिफारिश सदन की मेज पर रखी जायेगी और इस प्रकार सदन की मेज पर रखे जाने के दिन से आरम्भ होकर 14 दिन की कालावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन जिसमें समिति की सभी या किसी सिफारिश को समिति के पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, की सूचना संशोधन करने के उद्देश्य और कारणों सहित दे सकेंगे ।

(ख) यदि उप नियम (क) में उल्लिखित कालावधि के भीतर समिति की सिफारिशों में संशोधन की सूचना न दी जाय तो उस अवधि की समाप्ति पर समिति की सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकृत समझी जायेंगी और नियमों में सम्मिलित कर ली जायेगी।

(ग) यदि उप नियम (क) में विहित कालावधि के भीतर किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो तो सभापति ऐसे संशोधन को जो ग्राह्य हों, समिति को निर्दिष्ट कर देंगे और समिति ऐसे संशोधनों पर विचार करके अपनी सिफारिशों में ऐसा परिवर्तन कर सकेगी जो वह उचित समझे ।

(घ) उप नियम (ग) में उल्लिखित संशोधनों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सदन की मेज पर 10 दिन तक रखा जायेगा और यदि इस कालावधि के भीतर समिति द्वारा पुनर्विचारोपरान्त किये गये निर्णयों में किसी संशोधन की सूचना कारण और उद्देश्य सहित प्राप्त हो तो सभापति ऐसे संशोधन को जो ग्राह्य हो सदन के विचारार्थ रखेंगे, अन्यथा समिति का प्रतिवदेन सदन द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा और प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशें नियमावली में सम्मिलित कर ली जायेंगी ।

+जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण गजट दिनांक 15 जुलाई, 1988 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (क) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान परिषद् (सचिवालय) की विज्ञप्ति संख्या 1035/विप–45स0शा0/87, दिनांक 27 अप्रैल, 1988 द्वारा संशोधित हुआ।

19– विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव

विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना

223– कोई भी सदस्य, परिषद् का ध्यान किसी ऐसे मामले की ओर आकर्षित करने के लिये अपने

मन्तव्य की सूचना दे सकता है जो किसी सदस्य अथवा परिषद् उसकी अथवा समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना से सम्बन्ध रखता हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे विशेषाधिकार की अवहेलना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी जो परिषद् के समक्ष की गयी हो ।

विशेषाधिकार के प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें

224– विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने का अधिकार निम्नलिखित प्रतिबन्धों से नियंत्रित होगा, अर्थात् :–

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक विषय नहीं उठाए जायेंगे :

(2) विषय किसी हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना से संबंधित होगा ।

विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की रीति

225– यदि सभापति की यह सम्मति हो कि वह प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार के भंग करने का विषय है तो प्रश्नों के समाप्त होने पर तुरन्त ही और अन्य कार्यक्रम जिसमें अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये कार्य स्थगन के प्रस्ताव भी सम्मिलित है के आरम्भ होने से पूर्व सभापति सूचना देने वाले सदस्यों से कहेंगें कि वह उक्त प्रश्न उठाने के लिये परिषद् की अनुमति प्राप्त कर लें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभापति का यह निर्णय हो कि उठाया जाने वाला प्रश्न नियमानुकूल नहीं है, तो वे परिषद् के समक्ष यदि चाहें तो पढ़कर सुना दें और अपना निर्णय बता दें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य, परिषद् की किसी बैठक के दौरान उत्पन्न हुए विशेषाधिकार के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करें तो सभापति उस विषय पर अपना निर्णय सुरक्षित रख सकेंगे और उनको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त आगामी अवसर पर उठाये जाने के लिय अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे ।

परिषद् की अनुमति का प्रदान

226– यदि अनुज्ञा के प्रश्न किए जाने पर कोई आपत्ति उठायी जाय तो सभापति उन सदस्यों से

किया जाना

जो अनुज्ञा दिए जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेंगे और यदि कम से कम 10 सदस्य तद्नुसार खड़े हो जायें तो सभापति सूचित करेंगे कि सदस्य को अनुमति दे दी गई है । यदि 10 से कम सदस्य खड़ें हों तो सभापति उस सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे परिषद् की अनुमति प्राप्त नहीं है ।

विशेषाधिकार समिति को निर्देशन

227– यदि परिषद् अनुमति प्रदान कर दे तो सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय अथवा उस पर तत्काल चर्चा की जाय और निर्णय दिया जाय ।

(2) चर्चा को समाप्त करने के लिए सभापति समय सीमा निर्धारित कर सकेंगे ।

किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने का सभापति का अधिकार

228– सभापति स्वविवेक से किसी भी प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे और परिषद् को ऐसे निर्देशन के बारे में सूचित करेंगे ।

प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर चर्चा करने के लिए समय का निर्धारण

229– विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् किसी भी समय कोई सदस्य अपने मन्तव्य की सूचना, यह प्रस्तावित करने के लिए कि परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हैं, दे सकता है और सभापति नेता सदन के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय का बन्टन कर सकेंगे ।

(2) कोई भी सदस्य समिति की सिफारिशों से सुसंगत संशोधन प्रस्तावित कर सकता है ।

(3) परिषद् द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार किए जाने को विनियमित करने के लिए सभापति आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं ।

20– विविध

परिषद् द्वारा निर्वाचन

230– (1) परिषद अथवा उसके किसी वर्ग द्वारा चुनावों, सभापति के निर्देशानुसार तथा इसके संबंध में उनके द्वारा निर्मित विनियमों के अनुसार एकल–संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किए जायेंगे ।

(2) सभापति समय–समय पर परिषद् द्वारा किए जाने वाले निर्वाचनों को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकेंगे।

अनुपस्थित की अनुमति और रिक्तता

अनुपस्थित की अनुमति

231 (1) यदि कोई सदस्य, किसी भी समय यह समझता है कि लगातार 60 दिन की अवधि तक, जिसकी संगणना संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के अनुसार की जायेगी, परिषद् की बैठकों में सम्मिलित नहीं हो सकता है, तो वह इस प्रकार अनुपस्थित रहने के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है ।

(2) ऐसे आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही, जैसा कि सभापति आदेश दें, परिषद् के समक्ष विचार हेतु रखा जायेगा और इस प्रकार नियत किए गए दिनों, प्रश्नों के बाद तुरन्त और उस दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व उस पर परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ।

(3) नियम 57 के किसी बात के रहते हुए भी वह सभापति रीति निश्चित करेंगे जिसके अनुसार ऐसे आवेदन पत्रों पर परिषद् का निर्णय प्राप्त किया जायेगा ।

(4) सदस्य के आवेदन पत्र पर परिषद् जो निर्णय करें, उसकी सूचना यथाशीघ्र सचिव उस सदस्य को देंगे ।

(5) यदि कोई सदस्य 60 दिन की अवधि या उससे अधिक समय तक परिषद् की अनुमति के बिना उसकी समस्त बैठकों से जिसकी संगणना संविधान के अनुच्छेद 190 (4) के परन्तुक उपबद्ध रीति से की जायेगी, अनुपस्थिति रहे तो कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि ऐसे सदस्य का स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाय ।

(6) कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव करने के लिए 3 दिन की सूचना देगा और सूचना के साथ उन दिनांकों का एक पूर्ण–विवरण भी भेजेगा जिसमें वह सदस्य जिसका स्थान रिक्त घोषित किया जाने वाला है, अनुपस्थित था ।

(7) यदि सभापति इस बात से संतुष्ट हो जायं कि

उपनियम–(6) में उल्लिखित विवरण पत्र अशुद्ध है, तो कोई प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

(8) यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो सचिव इस तथ्य की सूचना राज्यपाल को प्रेषित करेंगे ।

(9) सचिव एक ऐसी सूची रखेगे जिसमें उन सब सदस्यों के नाम होंगे जो लगातार 60 दिन या उससे अधिक समय तक परिषद् की समस्त बैठकों में अनुपस्थित रहे हों और ऐसी सूची सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध की जाएगी ।

परिषद् के स्थान से त्याग–पत्र

232– (1) कोई सदस्य जो परिषद् में अपने स्थान से त्याग–पत्र देना चाहे अपना त्याग पत्र सभापति को प्रस्तुत करेगा ।

(2) परिषद् सदस्य से, उसके हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना प्राप्त कर लेने पर उसने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है । सभापति यथाशीघ्र परिषद् को सूचित करेंगे कि सदस्य ने परिषद् में अपने स्थान का त्याग कर दिया है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिषद् का अधिवेशन न हो रहा हो तो सभापति, परिषद् का पुनः अधिवेशन होने पर, सदन को तुरन्त सूचित करेंगे कि अमुक सदस्य ने अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।

गजट में रिक्त स्थानों का अधिसूचित किया जाना

233– परिषद् की सदस्यता के समस्त रिक्त स्थान उन स्थानों को छोड़कर जो सदस्यता के अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप रिक्त हो गये हों सचिव द्वारा गजट में अधिसूचित किए जायेंगे और अधिसूचना की प्रतिलिपियां निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कार्यवाही करने हेतु भेजी जायेगी ।

गणपूर्ति

234– जब किसी सदस्य द्वारा सभापति का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाय कि परिषद् की बैठक में 10 से कम सदस्य उपस्थित हैं तो सभापति 2 मिनट तक चेतावनी की घण्टी बजवायेंगे । यदि आवश्यक संख्या में सदस्य फिर भी उपस्थित न हों तो सभापति परिषद् को उसी दिन, किसी दूसरे समय तक के लिए, अथवा किसी

आगामी दिन के लिए, जिसका वे उल्लेख करें स्थगित कर देंगे ।

———————————————————————————